खण्ड–14, अंक–01
बुधवार, आश्विन 13, शक संवत् 1927
(05 अक्टूबर, 2005 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2005)

(खण्ड 14 में 5 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2005

मूल्य–

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2005 (प्रस्तुत)	73
उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) अध्यादेश, 2005 (प्रस्तुत)	74
उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 (प्रस्तुत)	74
उत्तरांचल किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) नियमावली, 2002 (प्रस्तुत)	74
उत्तरांचल विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 2005 (प्रस्तुत)	74
उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005–2006) का सातवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	75
उत्तरांचल विधान सभा की आवास समिति (2005–06) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	75
उत्तरांचल विधान सभा की नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	75–76
उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)	76
उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)	76–77
उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)...	77
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)	77
दून विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	77
उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)	77
जनपद उत्तरकाशी के वि०ख० चिन्यालीसौड़ के कोटधार से मुरोगी होते हुए खदाड़ा वनचौरा तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	78
जनपद पिथौरागढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोगाँव के उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	78

विषय-सूची

671

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
सरकार की रोजगार नीति, प्रदेश में 'वैट' लागू किये जाने तथा उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान आरोपित पुलिस कर्मियों के बरी हो जाने की सूचना को नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास	1–3
प्रश्नोत्तर	3–69
कार्यसूची की मदों के क्रम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	69
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	69
विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के ग्राम सभा खनिया एवं इससे लगे गांव में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	70
जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में स्थित लोक निर्माण विभाग के डाक बंगला की मरम्मत/जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद पिथौरागढ़ में जंगली सुअरों द्वारा नष्ट की गई फसल का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70–71
जनपद चमोली के ग्राम रिखोली एवं नैल (खनसर) में पेयजल पाईप लाइन टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील द्वाराहाट में स्वीकृत महिला अस्पताल हेतु भूमि का चयन न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71
प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एन०सी०वी०टी० व्यवसायों में प्रवेश सम्बन्धी दिनांक 8 अगस्त, 05 का आदेश युक्ति युक्त न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
माध्यमिक विद्यालयों में एल०टी० से प्रवक्ता वेतन क्रम में की नई पदोन्नतियों में व्याप्त कथित विसंगति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72–73
औचित्य के प्रश्न की सूचना	73
उत्तरांचल राज्य का 31 मार्च, 2004 तक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	73
उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का मई, 2003 से 31 मार्च, 2005 का वार्षिक प्रतिवेदन (प्रस्तुत) ...	73

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद टिहरी गढ़वाल के मासरताल को पर्यटक स्थल घोषित करने तथा पर्यटक विश्राम गृह के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) — — —	78
जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड़ के राजकीय जूनियर हाई स्कूल, दिचली का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) — — ...	78
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) — ... —	79
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) — ... —	79—80
सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित)	80
उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) —	80—81
उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) — ...	81
प्रदेश का नाम 'उत्तरांचल' के स्थान पर 'उत्तराखण्ड' किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती इंदिरा हृदयेश द्वारा प्रस्तुत संकल्प (स्वीकृत)	81—93
निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत समन्वय समिति में विधान सभा सदस्यों को नामित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	93
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (अग्राह्य)	94—107
वित्तीय वर्ष (2005—06 का प्रथम अनुपूरक अनुदान) (प्रस्तुत)	107
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	107
नत्थियाँ — — ...	108—113

बुधवार, दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही 'वन्देमातरम्' से प्रारम्भ की जाती है।

वन्देमात्रम

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्।

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्।

सुहासिनीम्।

सुमधुर भाषिणीम्।

सुखदाम्।

वरदाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सरकार की रोजगार नीति, प्रदेश में ''वैट'' लागू किये जाने तथा उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान आरोपित पुलिस कर्मियों के बरी हो जाने की सूचना को नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, बेरोजगारी के सम्बन्ध में हमारी नियम 311 की सूचना है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मुजफ्फरनगर में .... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एवं उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, बेरोजगारी को लेकर लोग आन्दोलित हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, हमारे तीन बिन्दु हैं। 1. प्रदेश सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। 2. उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान आरोपित पुलिस कर्मियों के बरी हो जाने के सम्बन्ध में हैं। 3. वैट को एक अक्टूबर से लागू करने के सम्बन्ध में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 के अन्तर्गत माननीय सदस्यगण श्री प्रकाश पंत, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री कैलाश शर्मा तथा श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट की सूचना जो राज्य के 13 जनपदों में सरकार की रोजगार की स्पष्ट नीति न होने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है। मैं इसे नियम 311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। दूसरी सूचना श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री मदन कौशिक, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री सुरेश चन्द्र जैन तथा श्री हरबंस कपूर की प्राप्त हुई है जो राज्य में दिनांक 1–10–2005 से वैट लागू किये जाने के सम्बन्ध में है। आज कार्यसूची में मद संख्या 8 में उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 सदन के पटल पर रखा जाना है। इस पर यथासमय सदन में चर्चा होगी, सूचना देने वाले माननीय सदस्य अपनी बात को उस समय रख सकते हैं। अतः मैं इसे नियम 311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, नियम 311 हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना श्री अजय भट्ट, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत तथा श्री अनिल नौटियाल की है। जो उत्तरांचल राज्य के निर्माण के दौरान आन्दोलनकारियों की हत्या, महिलाओं से बलात्कार के आरोपी अधिकारी, कर्मचारी उत्तरांचल सरकार की निष्क्रियता के कारण दोषमुक्त हो जाने से सम्पूर्ण राज्य की जनभावनाओं को आघात पहुँचने के सम्बन्ध में है। मैं इसे नियम 311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। माननीय सदस्य नियम 56 में इसे उठा सकते हैं। मैं इसे नियम 56 के अन्तर्गत सुन लूँगा। चौथी सूचना श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी की प्राप्त हुई है, उन्होंने भी उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के दौरान आन्दोलनकारियों की हत्या तथा महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोपियों को दोषमुक्त करने तथा उनके खिलाफ मुकदमों को रद्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे भी कृपया इस सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत उठायें। मैं इसे सुन लूंगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

"क"

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
7—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8—श्री काशी सिंह ऐरी
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री कैलाश शर्मा
11—श्री कौल दास
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14—श्री गोपाल सिंह
15—श्री गोविन्द लाल
16—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
17—श्री जोत सिंह
18—श्री तसलीम अहमद
19—श्री तिलक राज बेहड़
20—श्री तेजपाल सिंह रावत
21—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
22—श्री नारायण राम आर्य
23—श्री नारायण सिंह जंतवाल
24—काजी निजामुद्दीन
25—श्री प्रकाश पंत
26—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
27—श्री प्रदीप टम्टा
28—श्री प्रीतम सिंह पंवार
29—श्री प्रेमानन्द महाजन
30—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31—श्री फूल सिंह बिष्ट
32—श्री बलबीर सिंह नेगी
33—श्री बिजयपाल सिंह सजवाण
34—श्री बिशन सिंह चुफाल
35—श्री भगत सिंह कोश्यारी
36—श्री मदन कौशिक
37—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
38—श्री महेन्द्र भट्ट
39—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
40—श्री मातबर सिंह
41—श्री माल चन्द्र
42—श्री रणजीत सिंह
43—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
44—श्री राम प्रसाद टम्टा
45—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
46—श्री शूरवीर सिंह
47—श्री सहजाद
48—श्री साधू राम
49—श्री सुबोध उनियाल
50—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
51—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
52—श्री सुरेश चंद
53—डा0 हरक सिंह रावत
54—श्री हरबंस कपूर
55—श्री हरभजन सिंह चीमा
56—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
57—श्री हीरा सिंह बिष्ट
58—श्री हेमेश खर्कवाल
59—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सरकार हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश में मिट्टी तेल वितरण के मानक

**1–श्री अजय भट्ट–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में मिट्टी तेल वितरण के मानक क्या हैं ? क्या प्रत्येक कार्ड पर प्रति यूनिट के हिसाब से मिट्टी के तेल का वितरण होता है ?

क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के मिट्टी तेल के कोटे में कटौती कर दी है ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

क्या सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में दिये जाने वाले मिट्टी तेल की मात्रा को बढ़ाने पर विचार किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

भारत सरकार के दिशा निर्देश पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्तमान में मिट्टी के तेल के आवंटन का मानक निम्नानुसार प्रति राशन कार्ड है :–

1–एल0पी0जी0 सिंगल सिलेन्डर कनेक्शनधारी राशन कार्डधारकों को 03 लीटर प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड।

2–बिना एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को न्यूनतम 05 लीटर तथा अधिकतम 07 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध किया जा रहा है तथा तदर्थ रूप से समय–समय पर आवंटित मिट्टी तेल को विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में वितरित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बहिर्गमन तो सांकेतिक होता है और हमने सांकेतिक रूप से वह कर दिया है अब हम सदन में वापस आ गये हैं। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी प्रश्न की खातिर विधान सभा के एक माननीय सदस्य और एक आई0ए0एस0 के बीच में तू–तू मैं–मैं भी हो गई थी और इसमें क्रास एफ0आई0आर0 भी हुई थी। इस प्रश्न के उत्तर को देखते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है। श्रीमन्, हमने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में दिये जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा को बढ़ाने पर विचार किया जायेगा। इसमें उत्तर आया है कि भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध किया जा रहा है तथा तदर्थ रूप से समय–समय पर आवंटित मिट्टी तेल को विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में वितरित किया जाता है। मान्यवर, यह सरकार का उत्तर है, माननीय मंत्री जी का उत्तर है। हम तो प्रदेश को बताना चाहते थे कि सरकार के लोगों ने कहा था कि विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कोटा बढ़ाने की कार्यवाही हुई है तो सरकार द्वारा पत्रकारों और मीडिया से अलग बातें कही गई और सदन में कुछ और कहा जा रहा है। कितना मिट्टी का तेल आवंटित किया जा रहा है उसे आप जिलेवार सदन को बता दें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, यह कोटा भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाता है। माननीय सदस्य ने जनपदवार ब्यौरा मांगा है तो देहरादून में 1408 के0एल0, हरिद्वार में 1310, पौड़ी में 910, चमोली में 515, उत्तरकाशी में 384, टिहरी में 595, रुद्रप्रयाग में 250, बागेश्वर में 250, चम्पावत में 260, पिथौरागढ़ में 630, नैनीताल में 1055, अल्मोड़ा में 760 तथा ऊधमसिंह नगर में 1264 किलोलीटर का मासिक आवंटन है। इस प्रकार से कुल 9591 के0एल0 है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक जिले में राशन कार्ड धारक एल0पी0जी0 कनेक्शन हैं, वह कितने हैं, इसकी स्पेसिफिक जानकारी दे दें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, प्रदेश में सिंगल सिलेंडर वाले कनेक्शनों की 3,66,831 तथा डबल सिलेंडरों वालों की संख्या 2,52,061 हैं तथा बिना कनेक्शन वालों की संख्या 16,12,597 है। यह भारत सरकार के माध्यम से होता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इनकी जनपदवार डिटेल दे दें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जनपदवार ब्योरा हम बाद में उपलब्ध करा देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जनपदवार विवरण बाद में उपलब्ध करा दें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक बात और आपके माध्यम से जानना चाह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने पहले कहा हुआ है कि मैंने पर्वतीय क्षेत्रों के मिट्टी तेल के कोटे को बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिये हैं तो वह निर्देश क्या हैं और वह कब दिये गये और भारत सरकार से कोटा बढ़ाने के लिए किस तारीख को लिखा गया क्या मंत्री जी सदन को इससे अवगत करायेंगे ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि मिट्टी के तेल का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कई बार भारत सरकार कोटा बढ़ा देती है और कई बार उसमें कटौती कर देती है। आवंटन समय–समय पर घटता–बढ़ता रहता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में विभागीय सचिव को निर्देश दिया ? या भारत सरकार से अनुरोध किया ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में समय–समय पर सचिव के माध्यम से भारत सरकार को पत्र लिखे गये हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न बैठकों में भी भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से आवंटन किया जाय। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि दैवीय आपदा के समय भी पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से मिट्टी के तेल को रिजर्व रखा गया था।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब माननीय सदस्यों ने भी विभागीय सचिव से पर्वतीय क्षेत्र का कोटा बढ़ाने की बात कही थी, फिर यह संदेश कैसे गया कि नियमों को ताक पर रख कर आवंटन किया जा रहा है ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं खाद्य सचिव को आवंटन बढ़ाने के सम्बन्ध में पहला पत्र 18 अगस्त को गया था। इसके अतिरिक्त और भी कई पत्र भारत सरकार को लिखे जा चुके हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि आवंटन समय–समय पर घटता–बढ़ता रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो भी कोटा माननीय मंत्री जी ने जनपदवार बताया, वह निर्धारित है लेकिन क्या यह वास्तव में वहां पहुँच भी रहा है ? मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी एक तो इसकी अद्यतन स्थिति बतायेंगे। इसके अतिरिक्त मान्यवर, जिस घटना का जिक्र माननीय भट्ट जी ने किया, वह खेदजनक है। मैं उस घटना का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। जो भी कोटा शासन ने जनपदवार निर्धारित किया है क्या वहां पर मिल रहा है ? इसकी जानकारी मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा। दूसरा, माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार को आवंटन बढ़ाने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी का तेल है यह खाना पकाने के अतिरिक्त ईंधन के रूप में भी काम आता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वन अधिनियम बहुत सख्त हैं, सरकार का भी यह प्रयास रहता है कि जंगल पर दबाव और अधिक न बढ़े। जंगल की लकड़ी कम से कम इस्तेमाल हो। इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए वहां पर एल०पी०जी० के कनेक्शन बढ़ाने और मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने के साथ कम कीमत पर उपलब्ध कराने का अनुरोध भारत सरकार से करेंगे ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो जिज्ञासा प्रकट की है, उसके विषय में बताना चाहता हूँ कि निर्धारित कोटे की जांच समय–समय पर डी०एस०ओ०, एस०डी०एम० के साथ मिल कर करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में एल०पी०जी० कनेक्शन बढ़ाने का अनुरोध हमारी तरफ से पहले भी किया गया और अभी भी किया जा रहा है।

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में दिये जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा बढ़ाने हेतु भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक

गैस मंत्रालय से अनुरोध किया जा रहा है तथा तदर्थ रूप से समय–समय पर आवंटित मिट्टी तेल को विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में वितरित किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल राज्य में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उत्तरांचल में कुछ पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम होने के कारण वहां पर आवंटन कोटा बढ़ाये जाने की मांग की जा रही है।

शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद को आस्थगित उपरान्त स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान पर पुनर्नियुक्ति

**2—श्री प्रकाश पंत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा, अनुभाग–2 के आदेश संख्या 1091 XXIV–2/2005, दिनांक 13 सितम्बर, 2005 द्वारा शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध संयुक्त निदेशक के पद को आस्थगित करते हुए पद के स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान पर पुनर्नियुक्ति की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या नियुक्ति हेतु प्रचलित व निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण की गयी?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रस्ताव पर विचार करते समय।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 13 सितम्बर, 2005 को जो शिक्षा सचिव के माध्यम से शिक्षा अनुभाग में कार्यालय ज्ञाप प्रकाशित हुआ उसमें स्पष्ट रूप से दर्ज था कि संयुक्त निदेशक के एक पद का वेतनमान 12000–16500 था उसके स्थान पर सरकार ने 14300–18300 के वेतनमान पर संविदा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए एक शिक्षा सलाहकार की नियुक्ति की गई है। इस आदेश में यह कहा गया है कि जो संयुक्त निदेशक का पद है उसको आस्थगन कर दिया। अर्थात् 12000–14000 के स्थान पर 14300–18300 के वेतन पर नियुक्ति कर दी

गई, एक शिक्षा सलाहकार की। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह विज्ञप्ति कब प्रकाशित की गई, इस पद के लिए जिस पर शिक्षा सलाहकार की नियुक्ति की जानी थी और यह विज्ञप्ति किसके माध्यम से प्रकाशित हुई ? दूसरा प्रश्न यह है कि विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर कितने आवेदन प्राप्त हुए, क्या विज्ञप्ति पर यह निर्धारित था कि उसकी न्यूनतम योग्यता क्या होगी ? क्या उत्तरांचल राज्य से भी कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, शिक्षा विभाग प्रदेश का बहुत बड़ा विभाग है। प्रदेश में 14 हजार 567 प्राइमरी विद्यालय हैं। हमारे पास अधिकारियों की कमी बनी हुई है। शिक्षा विभाग के जितने भी कार्यक्रम हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम, सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम और राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना आदि बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जिसमें अधिकारियों की कमी बनी हुई है। हमें किसी अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। इसलिए अनुभवी व्यक्ति का लाभ शिक्षा विभाग को किस प्रकार मिले इसका हम सदैव ध्यान रखते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमको श्री बी0 रामाराव जी, जो नवोदय विद्यालय भारत सरकार में कार्यरत थे की सहमति प्राप्त हुई। उन्हें शिक्षा का व्यापक अनुभव है। इसको दृष्टिगत रखते हुए यह सोचा गया कि श्री राव हमारे प्रदेश की शिक्षा के लिए लाभकारी हो सकते हैं। साथ ही हमें ऐसे अधिकारी की भी आवश्यकता थी जो हमारे कामों को केन्द्र से आसानी से करा सकें। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें एक सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक मिल गये। उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी। इसलिए विज्ञप्ति निकालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमको उनकी आवश्यकता थी इसलिए हमने उन्हें दो वर्ष के लिए संविदा पर रखा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या नियुक्ति हेतु प्रचलित व निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण की गई हैं। तो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है हाँ। अब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि विज्ञप्ति निकालने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमने सारी औपचारिकता पूर्ण की थी और कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग से राय ली है। हमें एक योग्य और अनुभवी आदमी की आवश्यकता थी। मान्यवर, और जो हमारे काम के अनुरूप मिले।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें जो पद संविदा के आधार पर उन्होंने स्वीकृत किया है उसका वेतनमान 14300 से 18300 का है। मान्यवर, शिक्षा विभाग के ढांचे में इसका वेतनमान

रु० 12000 से 16500 का है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इसका विज्ञापन क्यों नहीं किया गया ? हमारे प्रदेश में भी इस पद के लिए कई योग्य व्यक्ति हैं। मान्यवर, जिस तरह से यह भर्ती की गयी यह आपत्तिजनक है। मान्यवर, न जाने इस तरह के कितने पद भरे जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जिला सलाहकार का वेतनमान रु० 14300 से 18300 का इसलिए किया गया, क्योंकि इसमें पेंशन सुविधा नहीं है। इसको इसी में समायोजित किया गया है, इसलिए यह अंतर है। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, हमें आपका संरक्षण चाहिए। मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, हमने विज्ञापन नहीं निकाला, कार्मिक विभाग से राय ली। मान्यवर, कार्मिक विभाग का इसमें प्रश्न ही नहीं उठता। विज्ञापन निकालना सरकार का काम है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ इस प्रश्न को स्थगित किया जाय। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसकी सी०बी०आई० जांच करायी जाय। (व्यवधान)

श्री सुरेश चन्द–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार इसकी सी०बी०आई० जांच कराये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप उत्तर स्पष्ट करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा, ये शिक्षा विभाग में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये शिक्षा विभाग में किस पद पर थे ? मान्यवर, अभी दुग्ध विभाग में भी डायरेक्टर के पद पर छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को चयनित किया गया तथा इसी विभाग के छः व्यक्तियों को देहरादून में पिछले दरवाजे से भर्ती किया गया। मान्यवर, न जाने ऐसी कितनी भर्तियां हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति उत्तरांचल के किस जिले का रहने वाला है, किस पद पर शिक्षा विभाग में था और पहले इसका वेतनमान क्या था ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह बी0 रामाराव नवोदय विद्यालय में संयुक्त निदेशक के पद पर थे। सरकार ने इन्हें रु0 14300 से 18300 के वेतनमान पर रखा है। मान्यवर, इनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नवोदय विद्यालयों के संचालन में इनका एक्सपीरियन्स था, आज हम भी संचालित कर रहे हैं, इसलिए जो ज्ञान रखते हैं उनकी हमें आवश्यकता है, इसलिए इसको देखते हुए हमने उनकी सेवायें स्वीकार की। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह गलत है।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी ने विज्ञप्ति के बारे में नहीं कहा। मान्यवर, एक लिपिक की भर्ती करते हैं तो भी विज्ञप्ति निकालते हैं, उनकी योग्यता क्या थी वह हम नहीं जानते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विज्ञप्ति करके चयन प्रक्रिया की गई, अगर माननीय मंत्री जी ने कहा कि विज्ञप्ति नहीं निकाली गई तो यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अवैध है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, सलाहकार के पद पर विशिष्टियाँ रखने वाली नियुक्ति पूर्व में और पूर्व की सरकार में भी होती रही हैं, यह 6 माह के लिए बनता है और अगर सही है तो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। मान्यवर, सलाहकार विशिष्टियों से युक्त व्यक्ति को सलाहकार के पद पर रखा जाता रहा है और पूर्व में आपके द्वारा भी रखा गया है। मान्यवर, यह नियमित नियुक्ति नहीं है, सलाहकार के पद पर है जो 6 माह से एक साल के लिए होता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह नियुक्ति पत्र, इसमें पुनर्नियुक्ति की गई इसमें लिखा है कि श्री राज्यपाल महोदय सम्यक् विचारोपरान्त कार्य हित में शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध संयुक्त निदेशक के 01 पद वेतनमान रु0 12000 से 16500 को आस्थगन में रखते हुए इस पद के सापेक्ष श्री वी0 रामाराव सेवा निवृत्त संयुक्त निदेशक, नवोदय विद्यालय समिति, भारत सरकार को शिक्षा सलाहकार के रूप में वेतनमान रु0 14300 से 18300 में 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त किये जाने की बात है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 6 माह के लिए कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने कहा कि 6 माह, 1 वर्ष और 2 वर्ष के लिए भी रखते हैं और बढ़ाते भी रहते हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, शर्त भी करते हैं और इस पुनर्नियुक्ति में कोई भी विज्ञापन नहीं निकाला है, सरकार ने उत्तरांचल की जनता को धोखा दिया है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बार–बार कहा है कि हमने सारी औपचारिकतायें पूरी की हैं और कार्मिक तथा जो भी सम्बन्धित विभाग हैं उनसे पूछा और उस पद की आवश्यकता का परीक्षण आपने करा लिया और सारे विभाग ने कहा कि नियुक्ति कर सकते हैं, यहाँ तक हम सहमत हैं, लेकिन आपत्ति हमारी और माननीय सदस्यों की यह है, मान्यवर, अभी माननीय प्रकाश पंत जी ने पत्र का उल्लेख किया है और उसमें पुनर्नियुक्ति शब्द भी आया है, सलाहकार की नियुक्ति 6 महीने, साल भर के लिए करते हैं। मान्यवर, यह दूसरी बात है, एक व्यक्ति की नियुक्ति की और उसे वेतनमान भी दिया जबकि सलाहकार का मानदेय होता है वेतनमान नहीं दिया जाता है, उसके लिए प्रक्रिया अलग है। मान्यवर, आपने वेतनमान दिया है तो आपने किस पद के सापेक्ष नियुक्ति की। यह तो नियुक्ति की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। क्या विज्ञापन देने से आपको उनसे अनुमती और विद्वान नहीं मिल सकते थे। आपने विज्ञप्ति जारी न करके एक व्यक्ति को नियुक्ति दे दी है, यह सामान्यतः सरकार के खिलाफ है। माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें कि एक व्यक्ति को लेकर नियुक्ति क्यों की गई और इसकी विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाली गई ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियम यह है कि जब किसी रिटायर्ड व्यक्ति को विशेषज्ञ के रूप में लेते हैं तो लास्ट पे ड्राल पर नियुक्ति करते हैं, पेंशन को माइनस करते हैं, वह मूल वेतन से कम मिलता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, बार–बार यह प्रश्न उठ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमने नियुक्ति नहीं दी है बल्कि हमने उन्हें दो साल के लिए संविदा पर रखा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पत्र में पुनर्नियुक्ति लिखा है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसमें लिखा है कि पुनर्नियुक्ति दी जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम सदन को तो गुमराह न करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, दो साल के लिए संविदा पर लिया है।

श्री अध्यक्ष–

पत्र में पुनर्नियुक्ति क्यों है उसको विस्तार से बतायें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बतायें कि पुनर्नियुक्ति की परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है तथा इसके लिए जो औपचारिकतायें होती हैं जैसे विज्ञप्ति निकाली जाती है, यह औपचारिकतायें क्यों नहीं की गई ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए हमने संविदा के आधार पर उन्हें दो साल के लिए कार्य सौंपा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि संविदा पर रखा है, इस आदेश में लिखा है कि पुनर्नियुक्ति में लिया है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वह सदन को गुमराह न करें।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ कि संविदा पर है यह पुनर्नियुक्ति नही है। मान्यवर, आपने प्रश्न उठाया है कि संविदा पर नियुक्ति होने के बाद पुनर्नियुक्ति नहीं लिखा जाना चाहिए था। मैं इससे सहमत हूँ। इसका विलोप कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विलोप कर दिया जायेगा यह कहना ही पर्याप्त नहीं है। इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित प्रश्न

राज्य में विशिष्ट बी0टी0सी0 2004–05 में आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों को अन्तर्जनपदीय व्यवस्था द्वारा भरा जाना

*श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में विशिष्ट बी0टी0सी0 2004–05 में आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों को अन्तर्जनपदीय व्यवस्था द्वारा भरे जाने हेतु कोई शासनादेश जारी किया गया है ?

यदि हाँ, तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) के पदों को भी अन्तर्जनपदीय व्यवस्था के तहत भरे जाने सम्बन्धी शासनादेश जारी किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ। राज्य में विशिष्ट बी0टी0सी0 2004–05 में आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों को अन्तर्जनपदीय व्यवस्था द्वारा भरे जाने हेतु शासनादेश संख्या 239/XXIV(3)/2004, दिनांक 6–12–2004 निर्गत किया गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) के पदों को भी अन्तर्जनपदीय व्यवस्था के तहत भरे जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 155/XXIV(1)/2005, दिनांक 19–3–2005 निर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शासनादेश जारी होने से पहले और बाद में कुल कितनी नियुक्तियां हुई हैं, कुल कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पौड़ी में 305, रुद्रप्रयाग में 125 .....

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में पूछ रहा हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अल्मोड़ा में 300 पद आरक्षित श्रेणी के भरे गये हैं, बागेश्वर में 87....

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शासनादेश जारी होने से पहले और बाद में कुल कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। आपने तो टोटल संख्या बता दी है। मैं जनपदवार स्थिति जानना चाहता हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ओ०बी०सी० के 173 पदों की पूर्ति अन्य जनपदों से किये जाने का शासनादेश जारी किया गया है। उनका चयन हो गया है और जल्द ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जायेगी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, क्या वर्तमान में अभी ओ०बी०सी० के पद रिक्त हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, सभी पद भर दिये गये हैं।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं विशिष्ट बी०टी०सी० के बारे में कहना चाहता हूँ। जो शासनादेश का हवाला दिया गया है। इसमें 3 शासनादेश जारी किये गये हैं। दो बार ऐसे शासनादेश जारी किये गये जो ओ०बी०सी० के हित में नहीं थे। इस सम्बन्ध में मैंने सचिव, शिक्षा से बात की, विधान सभा में मैंने प्रश्न भी लगाया। इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। अन्तर्जनपदीय भर्तियों के बारे में 6 दिसम्बर के शासनादेश के बाद पद भरे गये थे लेकिन ओ०बी०सी० की पैरवी करने के बाद भी उनकी काउन्सिलिंग नहीं करायी गयी है। इसका औचित्य क्या था ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जब विशिष्ट बी०टी०सी० का प्रशिक्षण आरम्भ किया गया तो कई जनपदों में ओ०बी०सी० के अभ्यर्थी नहीं मिले तो यह मांग की गयी थी कि अन्य जनपदों के अभ्यर्थियों से पद भर लिये जायें। सभी को हमने इसमें लिया है। सम्भवतः ओ०बी०सी० को इसमें छोड़ दिया गया था। अब ओ०बी०सी० को भी इसमें ले लिया गया है, उनका चयन कर लिया गया है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, साक्ष्य मौजूद हैं यदि माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं साक्ष्य सदन के पटल पर रख दूँगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से भी मेरी बात को तवज्जो नहीं दिया गया है। मैं चाहूँगा कि इसमें उच्च स्तरीय जांच करायी जाये। जिन अभ्यर्थियों का एक वर्ष बरबाद हो गया है उसे आप कैसे ठीक करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, उनकी काउन्सिलिंग चल रही है। पहले जिलावार नियुक्ति की जानी थी जब जिलावार नहीं मिले तो अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को भी लेना पड़ा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बैकलॉग के आधार पर भर्ती करने हेतु शासन से स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जो शासनादेश है इसमें ओ0बी0सी0 के लिए 19 मार्च, 2005 को लिखा गया है। मेरा प्रश्न है कि इसमें काउन्सिलिंग क्यों नहीं हुई ? बैकलॉग क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है। इसमें 3 संशोधन भी जारी किये गये तब, जब मैंने विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और चिन्ता का विषय है। इसमें मेरी मांग है कि इसकी उच्चस्तरीय जांच माननीय सदस्यों की एक समिति बनाकर की जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, काउन्सिलिंग के लिए लड़कों को और अभ्यर्थियों को बुलाने में समय तो लगता ही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, हमारा कहना यह है कि जब एस0सी0 और एस0टी0 के लिए समय मिला तो ओ0बी0सी0 के लिए समय क्यों नहीं मिला ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमने इसमें ओ0बी0सी0 को भी सम्मिलित कर लिया है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, आपने उन्हें प्रॉपरली सम्मिलित नहीं किया है आप गलत कह रहे हैं। ऑब्सल्यूटली रांग।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारी बात को तो सरकार दबा देती है, लेकिन अपने पक्ष के लोगों की बात को कैसे दबायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, फिजीकली हैंडीकेप्ट कोटे के तहत जनपद पिथौरागढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 10 पदों का विज्ञापन दिया गया है। जो हमारा शासनादेश है उसके अनुसार इसमें 3 पदों को एस0सी0 के लिए होना चाहिए था। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इनके लिए कोई पद आरक्षित नहीं किया गया है जबकि संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत इसे विज्ञापन में नहीं दिखाया गया है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह वास्तव में गम्भीर प्रकरण है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो स्पष्ट हो गया है कि सरकार नियम और पारदर्शिता नहीं अपना रही है, यह विपक्ष ही नहीं कह रहा सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, यह सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यह सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की विरोधी सरकार है। माननीय मंत्री जी इसीलिए इसका सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। छात्रों का एक साल खराब हो गया है। सरकार उसकी प्रतिपूर्ति कैसे करेगी, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जनपदवार नियुक्ति की जानी थी। जिन जिलों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं थे, वहां के लिए पहले यह नहीं बताया गया था कि अन्य जिलों से नियुक्ति की जाय। लेकिन बाद में यह मांग की गयी इन पदों को दूसरे जनपदों से भरा जाय। तो इस पर विचार करके नियुक्ति की जा रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, पौड़ी जनपद में आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। जितने पदों की विज्ञप्ति की गयी थी, उनके सापेक्ष पूरे पदों पर नियुक्ति नहीं की गयी है। एल0टी0 के पदों पर भी जितने पदों की विज्ञप्ति की गयी थी, उतने पदों पर नियुक्ति नहीं की गयी।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य एल0टी0 के पदों के बारे में कह रहे हैं। मान्यवर, 2000 के पदों के सापेक्ष में विज्ञप्ति निकाली गयी थी, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब ज्यादा विद्यालय खुल जाने के कारण 25 प्रतिशत और पद बढ़ा दिये गये हैं। चुनाव होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब वहां पर नियुक्ति हो रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, सरकार सदन को गुमराह कर रही है। जितने पदों के लिए विज्ञप्ति की गयी थी, उन सभी पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न

वर्ष 2005–2006 से विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में बदलाव की नीति

*1–श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2005–2006 हेतु किन–किन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है तथा पाठ्यक्रम में बदलाव हेतु क्या नीति अपनाई गयी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बदले हुए पाठ्यक्रम की सभी पुस्तकें उपलब्ध करा दी गयी हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

शैक्षिक सत्र 2005–06 में कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है तथा कक्षा 6 से 8 तक गणित विषय में परिवर्तन किया गया है।

सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम को अपनाकर एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा संरचित पुस्तकों को शैक्षिक सत्र 2005–06 में कक्षा 9 में लागू किया गया है। तदोपरान्त प्रत्येक वर्ष आगे की कक्षाओं में लागू करने की नीति अपनाई गयी है।

परिवर्तित पाठ्यक्रम की सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मान्यवर, इस प्रदेश में जितना भी बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध वर्ग था उन सभी के विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा सत्र 2005–06 में सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाए। इसके लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पाठ्यपुस्तकों में पूर्व में ही एन0सी0आर0टी0 तर्ज बनाये रखा गया है। उसमें हमने थोड़ा बहुत यहाँ के भौगोलिक एवं सामाजिक परिवेश को भी समाहित किया है। कक्षा 6 से कक्षा 8 के बीच का पाठ्यक्रम एन0सी0आर0टी0 के अनुसार ही बना हुआ है। उसके बाद कक्षा 9 से सी0बी0एस0ई0 का पाठ्यक्रम लागू किया गया है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में पहले वाले सत्र में कहा था कि कक्षा 6 से कक्षा 9 तक पूर्ण रूप से सी0बी0एस0ई0 के पाठ्यक्रम को एन0सी0ई0आर0टी0 के कार्यक्रम के अनुसार लागू करेंगे। लेकिन आज जो उत्तर आया है उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि केवल कक्षा 9 में लागू करेंगे। मान्यवर, केवल कक्षा 6 से कक्षा 8 में गणित विषय में परिवर्तन किया गया है। कक्षा 9 में सीधे कम्प्यूटर पढ़ाया जायेगा। इसी का परिणाम है कि इस बार कक्षा 10 का रिजल्ट मात्र 38 प्रतिशत रहा। 62 प्रतिशत छात्र फेल हो गये। कक्षा 10 की बाईलॉजी और साइंस के पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो पुस्तकें बदली गई हैं, पाठ्यक्रम बदला गया है उन्हें छात्र किस प्रकार तैयार कर पायेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पुस्तकें सी0बी0एस0ई0 की तर्ज पर हैं। हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। केवल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए थोड़ा बहुत समावेश किया गया है। 9वीं में हमने पूरा कोर्स सी0बी0एस0ई0 का लिया है। गणित सी0बी0एस0ई0 की ही है। 9वीं के पाठ्यक्रम के बाद वह 10वीं में सी0बी0एस0ई0 का ही पाठ्यक्रम जायेगा। अभी तो 10वीं का जो पाठ्यक्रम है वह तो पूर्व से चला आ रहा उत्तर प्रदेश का ही पाठ्यक्रम है। अब जो बच्चे 9वीं से 10वीं कक्षा में जायेंगे तब उनका पाठ्यक्रम सी0बी0एस0ई0 का होगा। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक में गणित विषय में परिवर्तन किया गया है। शेष पुस्तकों में राज्य के हिसाब से भौगोलिक स्थितियों का थोड़ा बहुत समावेश किया गया है।

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो कक्षा 09 में केवल गणित विषय लेने के सम्बन्ध में है, इसमें कम्प्यूटर और बाईलॉजी विषयों को क्यों नहीं लिया गया, जबकि कक्षा 10 में जो नई पुस्तकें हैं उसमें ये विषय हैं। यह मेरी निश्चित जानकारी में है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जो हमारी कक्षा 09 की पुस्तकें हैं वे हैं– साहित्य मंजरी भाग–1, मधु संचय भाग–1, स्टेप्स टु इंगिलिश रीडर (ब कोर्स)। अभ्यास पुस्तिका स्टेप्स टु इंगलिश, मोजेएक आफ लाइफ, सामाजिक विज्ञान भाग–1, सामाजिक विज्ञान भाग–2, गणित भाग–1, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भाग–1, शिक्षार्थी व्याकरण और व्यवहारिक हिन्दी तथा संस्कृत प्रज्ञा भाग–1 हैं। मान्यवर, हमने पूरी पुस्तकें एन0सी0ई0आर0टी0 की ली हैं। मैं समझता हूँ कि ये पुस्तकें कक्षा 08वीं में नहीं हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड में कक्षा 08 में कम्प्यूटर है। यदि आपने कक्षा 08 में यहां पर कम्प्यूटर नहीं किया तो कक्षा 09 में आप कैसे यह विषय पढ़ायेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमने कम्प्यूटर लर्निंग का जो कार्यक्रम किया उसे पूरे प्रदेश के हाई स्कूलों में किया है। हमने अभी जूनियर स्कूलों में यह शुरू नहीं किया है। जब हम धीरे–धीरे आगे बढ़ेंगे तो इनको बदल देंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सी0बी0एस0ई0 के पाठ्यक्रम की बात हो रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कक्षा 06 से 08 तक गणित को बदल दिया है। मान्यवर, केवल गणित को बदलने से पूरा पाठ्यक्रम नहीं बदल जायेगा। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमने कक्षा 06 से 08 तक में सी0बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम को बदला है और कम्प्यूटर को बदल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, कक्षा 06 से 08 तक में सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम में केवल गणित विषय को बदला है। जबकि कम्प्यूटर विषय को नहीं रखा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, कम्प्यूटर अनिवार्य नहीं है। इसको कक्षा 09 से शुरू किया जायेगा।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मात्र गणित विषय में परिवर्तन करने से कक्षा 06 से 08 तक में परिवर्तन नहीं हो सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जो हमने पुस्तकें बनायी हैं वह एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकों की

तर्ज पर बनी हैं। इसमें प्रदेश के बाहर कौन-कौन सी नदियाँ हैं उनको केवल इसमें समावेश किया है और कक्षा 09 में हमने पूरा पाठ्यक्रम बदला है।

श्री महेन्द्र भट्ट-

मान्यवर, आप स्पष्ट शब्दों में कहिये कि कक्षा 06 से 08 तक में हमने केवल गणित विषय में परिवर्तन किया है बाकी विषयों में परिवर्तन नहीं किया है।

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि कक्षा 6 से 8 तक सी0बी0एस0ई0 लागू नहीं है, आपने गणित की पुस्तकें बदल दी हैं। मान्यवर, यह गुमराह करने की बात है, यह प्रदेश की जनता की शिक्षा से जुड़ा सवाल है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

मान्यवर, हमने जो पुस्तकें बनाई हैं वह सी0बी0एस0ई0 की पुस्तकें हैं, उसमें थोड़ा सुधार करके लागू किया है।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है, माननीय मंत्री जी घुमा रहे हैं, पुस्तकें लागू नहीं कर रहे हैं न साइन्स की हैं और न गणित की हैं। मान्यवर, स्पष्ट उत्तर आना चाहिए।

श्री महेन्द्र भट्ट-

मान्यवर, पुस्तकें दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं गई।

जनपद उत्तरकाशी में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्रय की गयी शिक्षण अधिगम सामग्री के मूल्य की जाँच

*2-श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या शिक्षा मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद उत्तरकाशी में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 58 प्राथमिक विद्यालयों हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री क्रय की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार क्रय की गई सामग्री की बाजार मूल्य से तुलना कर जांच करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

जी हाँ।

जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में क्रय की गयी सामग्री की बाजार मूल्य से तुलना के सम्बन्ध में जांच करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जाँच के बिन्दु क्या थे और जाँच की आख्या क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह आपत्ति की गई थी कि बाजार भाव से अधिक भाव में यह सामान क्रय किया गया, इसमें जनपद स्तर पर क्रय समिति बैठी, जिन्होंने क्रय किया था उनकी अलग समिति बनी थी और जाँच के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक सदस्य को नामित किया गया और जाँच जिला शिक्षा अधिकारी से कराई, उसमें एक बिन्दु था कि बाजार भाव से अधिक मूल्य पर खरीदा गया तो उसमें पाया गया कि जो सामान लिया गया उसकी ढुलान के लिए दूरी ज्यादा थी तो नेचुरली बाजार से उसकी कीमत ज्यादा होगी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सामान क्या–क्या थे और उनका मूल्य क्या था और किराया कितना लगा ? यह सदन को स्पष्ट करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, बाजार भाव हमारे पास नहीं है, इसका कोटेशन हमारे पास है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, वहाँ पर लोटा 8 सौ रुपये का, बाल्टी साढ़े चार सौ रुपये की आदि वस्तुयें खरीदी गई और बाजार भाव से दुगनी कीमत पर ली गई हैं। मान्यवर, इसकी उच्च स्तर पर जाँच होनी चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसमें उन्होंने विज्ञप्ति की जिसमें मै0 सरिता एण्ड कम्पनी, चम्बा, टिहरी, मै0 मैचलेस इण्डस्ट्रीज, रुड़की, मै0 महादेव प्रिंटर्स स्टेशनर्स तथा सप्लायर्स, कोटद्वार इन तीन फर्मों से कोटेशन आये। मान्यवर, चम्बा टिहरी ने एक कुर्सी का रेट 1550 रुपये दिया।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जिस फर्मों से आपने लिया है उस फर्म के बारे में बतायें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जिस फर्म का दाम कम था उसी से खरीदा है। मान्यवर, वह कुर्सी 975 रुपये में खरीदी थी मान्यवर, मेज का रेट टिहरी वाले ने 1950 रुपये, रुड़की वाले ने 1800 रुपये और कोटद्वार ने 1600 रुपये बताया उसे कोटद्वार वाले से ही खरीदा गया।

मान्यवर, तीसरा जो यह लोहे की बाल्टी है वह 22 गेज की माँगी गई। यह बाल्टी 200 मिली लीटर की है। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह 200 लीटर की कैसी बाल्टी हो सकती है। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि शिकायत आयी थी और उस पर जाँच की गई, जाँच के जो भी परिणाम थे उसके बारे में बताया और इसको सारा सदन सुन रहा है। जैसे कि बाल्टी के लिए 480, 470, 450 की निविदायें आयीं, इसमें जो सबसे कम 450 की थी उसे स्वीकार कर लिया गया। यह तो एक सामान्य ज्ञान की बात है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 32 रुपये की है तो यह बाजार भाव से दो गुना या चार गुना हो सकती है। मान्यवर, इतने महंगे दामों पर सामग्री आपूर्ति की गई है, यह गम्भीर विषय है। मान्यवर, तीन लोगों ने मिलकर यह कार्य किया, एक ने 480 रख दिया दूसरे ने 470 तीसरे ने 450 रखी। जबकि इसकी कीमत 80 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, इसमें घोटाला नजर आ रहा है, इसमें व्यापक धांधली हुई है। इसमें मिली भगत से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराने की कृपा करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसमें एक क्रय समिति बनाई गई है। इसमें एक आदमी का काम नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसकी हाई लेवल कमेटी से जांच करा देंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इससे सारे माननीय सदस्य चिन्तित हैं। मान्यवर, बहुत आक्रोश है। जो धन हमको मिल रहा है उसका व्यापक पैमाने पर दुरूपयोग किया जा रहा है। क्या इसका संज्ञान माननीय मंत्री जी लेंगे और इस सम्बन्ध में क्या माननीय विधायकों की कमेटी बनाकर इस प्रकरण की जांच कराने पर विचार करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह जो जांच आख्या है इसको अभी फाइनल नहीं किया गया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जब जांच आख्या फाइनल नहीं हुई तो फिर यह सदन में कैसे आ गयी। यह तो आश्चर्य की बात है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह जांच रिपोर्ट आ गयी है इसका परीक्षण किया जायेगा यदि इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो एक जांच और करायी जायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जांच कब तक पूरी हो जायेगी। रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जांच शीघ्र ही करवा दी जायेगी। दो महीने में जांच करवा दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पूरे प्रदेश की जांच करानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जांच के लिए मैंने कह दिया है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी भावना से सहमत हूँ। इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। मैं चाहूँगा कि इसकी उच्च स्तरीय समिति से जांच करायी जाये।

श्री अध्यक्ष–

उच्च स्तरीय समिति से जांच करायी जायेगी।

मण्डी परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों में नियुक्ति की प्रक्रिया

*3–श्री प्रकाश पंत एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि मण्डी परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर सेवायोजित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र मांगे गये थे तथा प्रवेश परीक्षायें भी आयोजित की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्तियाँ प्रदान कर दी गयी हैं?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

जी हाँ।

जी नहीं। कुल विज्ञापित 25 पदनामों में से 08 पदनामों के साक्षात्कार की कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है।

वर्तमान में मण्डी समितियों के चुनावों की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यवाही स्थगित है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन विज्ञापित पदों की परीक्षा आयोजित की गयी है इन पदों के आवेदन–पत्रों की विज्ञप्ति कब प्रकाशित हुई ? दूसरा– परीक्षा कब आयोजित की गयी, तीसरा– आयोजित की गयी परीक्षा का परिणाम कब निकला और साक्षात्कार कब हुए ?

कृषि मंत्री [श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)] –

मान्यवर, 9–5–2003 को दैनिक जागरण और अन्य समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी हुई थी। परीक्षा हुई 28 दिसम्बर, 2003 को, परिणाम निकला 17–03–2005 को, साक्षात्कार हुआ 9–5–2005 को।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विज्ञापन 9 मई को जारी हुआ। परीक्षा दिसम्बर में हुई। ठीक है प्रक्रिया में समय लगता है। 18–12–2003 को परीक्षा होने के बाद इसका परिणाम 13 मार्च, 2005 को आया। माननीय मंत्री जी, क्या यह बतायेंगे कि इसमें इतना समय क्यों लगा ? आपने कहा कि इसमें साक्षात्कार दिनांक 9–4–2005 को पूर्ण हो गये तो क्या नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है ? माननीय मंत्री जी ने सदन को जो उत्तर दिया है कि विज्ञापित 25 पदनामों में से मात्र 8 पदनामों पर साक्षात्कार की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है और माननीय मंत्री जी ने यहां पर उत्तर दिया कि वह प्रक्रिया 9–4–05 को पूर्ण हो चुकी है, दोनों उत्तरों में से कौन सा उत्तर सही है। 8 पदनामों पर जिन पर साक्षात्कार की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है वह कौन–कौन से पदनाम हैं और क्या मण्डी परिषद् में नियुक्ति भी जारी की गई है ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है मैं आपके माध्यम से उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि देरी इसलिए हुई जब पद विज्ञापित हुये तो उसके बाद मई में पार्लियामेंट चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो गई थी। उसके बाद साक्षात्कार हुये और 08 पदनामों के साक्षात्कार पूर्ण कर लिये गये हैं। जो माननीय सदस्य ने पूछा पदनाम के बारे में तो मैं बताना चाहता हूँ कि विधि सहायक के 9–4–05 को, मानचित्रक के 9–4–05 को, कम्प्यूटर ऑपरेटर परिषद्/समिति के 24 एवं 25–4–05 को, कोष लिपिक समिति/लेखा लिपिक परिषद् के 25 एवं 26–4–05 को तथा मंडी निरीक्षक के 27 एवं 28–04–05 को साक्षात्कार हो गये हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि "यदि हाँ तो क्या नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्तियां प्रदान कर दी गई हैं," इसमें आपने उत्तर दिया है कि "जी नहीं कुल विज्ञापित 25 पदनामों में से 8 पदनामों के साक्षात्कार की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है।" अभी आपने सदन को अवगत कराया कि साक्षात्कार की प्रक्रिया 9–4–05 को पूर्ण कर ली गई है, जबकि अलग–अलग तिथियों को साक्षात्कार हुये जो कि आपने उत्तर में स्वयं बताये। मेरा प्रश्न यह है कि क्या 25 पदनामों में सभी पदों में साक्षात्कार हो गये हैं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, मण्डी परिषद् और मण्डी समिति दोनों की परीक्षायें तथा 8 पदनामों के साक्षात्कार हुये। मण्डी समितियों के लिए साक्षात्कार भी हुये थे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 25 पदनामों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, आपके उत्तर का यही आशय है ? चूंकि समय भी निकल रहा है इसलिए मैं अगला प्रश्न भी पूछ लेता हूँ क्या मण्डी परिषद् या समितियों में किसी पद पर 9–5–2003 को विज्ञापन जारी होने के बाद किसी पद पर नियुक्ति की गई है ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, वर्तमान में तो मण्डी समितियों के चुनाव होने जा रहे हैं यह जनवरी 06 तक पूरे हो जायेंगे उसके बाद तुरन्त एक माह में यह कार्य किया जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 25 में से 8 के आपने बताया कि साक्षात्कार हो गये तो, जो 17 पदनाम हैं, उन पर कब तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, जितने पदों पर लिखित परीक्षा हो चुकी है उन पर इंटरव्यू हो जायेगा, जिन पर केवल इंटरव्यू था उनमें भी साक्षात्कार प्रारम्भ हो जायेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक कट ऑफ डेट दे दें, एक समयबद्धता दे दें क्योंकि कई बेरोजगार 9–5–03 से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप एक तारीख बता दें कि इस तारीख

तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। मान्यवर, इसके अतिरिक्त इसमें जो अधिकतम आयु सीमा बतायी गयी है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज की डेट में जिन बच्चों की आयु उससे अधिक हो गयी है, क्या विज्ञप्ति के समय उनकी जो आयु थी उसी को माना जाएगा ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, आचार संहिता 12 या 14 जनवरी, 06 को खत्म हो जाएगी। उसके एक माह के अन्दर हम कार्यवाही शुरू कर देंगे। दूसरा, जैसा कि माननीय सदस्य ने आयु सीमा के बारे में पूछा है, तो इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

कार्यरत कृषि निदेशक की प्रोन्नति एवं उनके द्वारा रानीखेत में कराये गये कथित भूमि संरक्षण कार्यों की जांच विषयक

***4–श्री महेन्द्र भट्ट–**

क्या कृषि मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में कार्यरत कृषि निदेशक पूर्व में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे ?

यदि हाँ, तो उप निदेशक से आगे तीन वरिष्ठ पदों को लांघते हुए निदेशक पद पर नियुक्ति देने के क्या कारण थे ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1987–88 में वर्तमान निदेशक जब भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत द्वारा तत्समय कराये गये भूमि संरक्षण कार्यों की जांच की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

जी हाँ।

उप निदेशक के बाद उनकी संयुक्त निदेशक के पद पर प्रोन्नति हुई, तत्पश्चात् सेवानियमों में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार संयुक्त निदेशक से कृषि निदेशक के पद पर प्रोन्नति की गई।

जी हाँ। वर्तमान निदेशक जब भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत थे, उनके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण श्री अवनीश कुमार अवस्थी, तत्कालीन सहायक आयुक्त, पाली, रानीखेत द्वारा दिनांक 31–5–1991 को किया गया। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री गोपाल कृष्ण, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वाराहाट विकास खण्ड

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 03 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

की भूमि संरक्षण इकाईयों द्वारा धन के दुरूपयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर तत्समय उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिया गया। तत्कालीन सहायक आयुक्त, रानीखेत द्वारा भूमि संरक्षण ईकाई के परियोजनाओं की गई निरीक्षण टिप्पणी पर तत्कालीन अपर कृषि निदेशक, उत्तरांचल, पौड़ी/सम्बन्धित अधिकारियों से बिन्दुवार आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्या की समीक्षा पर वर्तमान कृषि निदेशक जो तत्समय भूमि संरक्षण अधिकारी थे, के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य सामने नहीं आया। कुछ परियोजनाओं में अभिलेखीय त्रुटि का मामला प्रकाश में आया, जिसके लिए उत्तरदायी श्री डी0सी0 पाटनी को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा श्री रघुबीर सिंह राघव एवं श्री रमेश चंद जोशी को कठोर चेतावनी दी गई।

मा0 सदस्य, श्री गोपाल कृष्ण द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा में पूछा गया प्रश्न बाद में आश्वासन सं0 386/98 के रूप में परिवर्तित हुआ। इस आश्वासन को पूर्ण माने जाने हेतु अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग–3 के पत्र सं0 5741/12–3–99 दिनांक 10 मार्च, 1999 तथा अर्द्ध0प0 सं0 4317–12–3–2000 दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 द्वारा उत्तर प्रदेश, विधान सभा, सचिवालय को पत्र लिखे गये, लेकिन उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रश्नगत आश्वासन पूर्ण न होने के कारण यह मामला उत्तरांचल राज्य होने के कारण आश्वासन उत्तरांचल राज्य को स्थानान्तरित हुआ। उत्तरांचल शासन के पत्र सं0 18 विधान सभा आ0/कृषि/2001–19 ए0क्यू0–98 दिनांक 3 अक्टूबर, 2001 एवं पत्र सं0 18 (1) विधान सभा आ0/कृषि/2001–19ए0क्यू0–98, दिनांक 28 दिसम्बर, 2001 तथा पत्र सं0 15 वि0स0 आ0/कृषि/2001–19 ए0क्यू0–98 दिनांक 11 जुलाई, 2003 से इस आश्वासन को पूर्ण माने जाने के लिए विधान सभा सचिवालय, उत्तरांचल को पत्र प्रेषित किये गये।

उत्तरांचल विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति के सदन में चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, दुग्ध विकास, ऊर्जा, कृषि, पंचायतराज, उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास, चीनी उद्योग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के वर्ष 1987 से 2000 तक के लम्बित आश्वासनों को पूर्ण माने जाने के सम्बन्ध में आश्वासन समिति की बैठक दिनांक 22–9–2003 को सम्पन्न हुई जिसमें आश्वासन सं0 386/98 को पूर्ण मान लिया गया है।

उक्त प्रश्न की तरह उत्तर प्रदेश विधान सभा में पूर्व में पूछे गये प्रश्न के फलस्वरूप बने आश्वासन को उत्तरांचल विधान सभा आश्वासन समिति ने पूर्ण मान लिया है अतः निरीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख सदन के पटल पर रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पिथौरागढ़ में रा0उ0मा0वि0 कुम्डार, थरकोट के उच्चीकरण की मांग

1–श्री प्रकाश पंत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में रा0उ0मा0वि0 कुम्डार, थरकोट का उच्चीकरण इण्टरमीडिएट स्तर तक किये जाने की मांग की जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्ष 2005–06 में इन विद्यालयों का उच्चीकरण करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

विभागीय मानकों को पूर्ण नहीं करता है।

जनपद पिथौरागढ़ में जू0हा0 सेल कुम्याचौड़ तथा जू0हा0 माटी गाँव के उच्चीकरण की मांग

2–श्री प्रकाश पंत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में जू0हा0 सेल, कुम्याचौड़ तथा जू0हा0 माटी गांव का उच्चीकरण हाईस्कूल स्तर तक किये जाने की मांग की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्ष 2005–06 में इन विद्यालयों का उच्चीकरण करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जू0हा0 सेल तथा कुम्याचौड़ के उच्चीकरण की मांग की जा रही है।

जू0हा0 माटी गांव के नाम से कोई विद्यालय जनपद में संचालित नहीं है।

जू0हा0 सेल के उच्चीकरण का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है। जू0हा0 कुम्याचौड़ उच्चीकरण हेतु मानकों को पूर्ण नहीं करता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देहरादून जौनसार बावर क्षेत्र में सूईकचाणू तथा जाडी के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की व्यवस्था

3–श्री हरबंस कपूर–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि देहरादून जनपद जौनसार बावर क्षेत्र में ग्राम पंचायत क्षेत्र मुगांड के विद्यालय सूईकचाणू तथा ग्राम पंचायत जाडी के विद्यालय में अध्यापक न होने से क्षेत्र के बच्चे शिक्षा से वंचित रहे तथा उनकी अर्द्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं हो पायी है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इसके लिए कौन दोषी है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

देहरादून जनपद जौनसार बावर क्षेत्र में ग्राम पंचायत क्षेत्र मुंगाड़ के विद्यालय सुईकवाणु में वर्तमान में दो अध्यापिकायें कार्यरत हैं तथा ग्राम पंचायत जाड़ी के विद्यालय में गत वर्ष एक अध्यापिका के अवकाश पर जाने के कारण प्राथमिक विद्यालय खारसी से अन्य अध्यापिका की अस्थाई व्यवस्था की गई थी। बच्चों की अर्द्धवार्षिक परीक्षायें सम्पन्न कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार

जनपद पिथौरागढ़ के प्रा0वि0 खण्ड अल्काथल के ध्वस्त भवन का निर्माण

4–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के प्रा0वि0 खण्ड अल्काथल का भवन ध्वस्त है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं, यह सत्य नहीं है। प्राथमिक वि0 अल्काथल का भवन जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है।

जी हाँ।

वर्ष 2005–06 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्रों का जिलेवार अनुपात एवं तत्सम्बन्धी नीति

5–श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्रों का जिलेवार अनुपात क्या है ?

यदि अनुपात समान नहीं है तो समान करने हेतु कोई नीति बनायी जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्रों का जिलेवार अनुपात निम्नवत् है :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	छात्र–शिक्षक अनुपात
1.	बागेश्वर	1:25
2.	चम्पावत	1:46
3.	पिथौरागढ़	1:22
4.	हरिद्वार	1:64
5.	टिहरी	1:34
6.	उत्तरकाशी	1:24
7.	अल्मोड़ा	1:26
8.	चमोली	1:30
9.	देहरादून	1:36
10.	नैनीताल	1:32
11.	पौड़ी	1:21
12.	रुद्रप्रयाग	1:28
13.	ऊधमसिंह नगर	1:62

जी हाँ।

समानता लाने के लिए आवश्यकता वाले विद्यालयों में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं एवं शिक्षा मित्रों की तैनाती की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित काशीपुर के ग्राम ब्रह्मनगर में त्रुटिपूर्ण निर्मित प्राथमिक विद्यालय का ध्वस्तीकरण

6–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर के ग्राम ब्रह्मनगर में निर्माणाधीन प्राथमिक विद्यालय के भवन की गुणवत्ता मानकों के आधार पर न पाए जाने के कारण सम्बन्धित भवन को पूर्णरूपेण तैयार होने से पूर्व ही खण्ड विकास अधिकारी, काशीपुर द्वारा आदेश पारित कर ध्वस्त करा दिया गया है ?

यदि हाँ, तो त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य के लिये ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक द्वारा कितनी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ?

क्या शासन इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही करेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य को ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक द्वारा पुनः अपने निजी स्रोतों से निर्माण कर लिया गया है। अतः धनराशि का दुरूपयोग नहीं हुआ है।

जी नहीं।

क्योंकि त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य को सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक द्वारा अपने निजी स्रोतों से गुणवत्ता सहित पुनर्निर्मित किया जा चुका है। सम्बन्धित अध्यापक एवं प्रधान का स्पष्टीकरण लिया गया तथा चेतावनी निर्गत की गयी।

जनपद देहरादून के जौनसार बावर के सीमान्त गांव किस्तूड में स्थित प्राथमिक विद्यालय में छात्रों/अध्यापकों की संख्या

7–श्री हरबंस कपूर–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के त्यूनी तहसील के अन्तर्गत सीमान्त गांव किस्तूड में कोई प्राथमिक विद्यालय स्थित है ?

यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या है तथा इन छात्रों को पढ़ाने हेतु कितने अध्यापक/शिक्षक तैनात हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

उक्त विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या 39 है। इन छात्रों को पढ़ाने हेतु एक अध्यापक कार्यरत है व एक अन्य की व्यवस्था की जा रही है।

जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ के ग्राम पंचायतों में विकेन्द्रीकृत जलागम परियोजना का संचालन

8–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या जलागम प्रबन्ध मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के कुल कितने ग्राम पंचायतों में विकेन्द्रीकृत जलागम परियोजना संचालित की गयी है तथा शेष ग्राम पंचायतों में उक्त परियोजना कब से संचालित की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ की 29 ग्राम पंचायतों में विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना संचालित की जा रही है। शेष ग्राम पंचायतों में इस परियोजना को संचालित किया जाना शासन के विचाराधीन नहीं है।

निर्धारित प्राथमिकता में न होने के कारण शेष ग्राम पंचायतों को नहीं लिया गया है।

राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में मिनी कृषि मण्डी की स्थापना

9—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में मिनी कृषि मण्डी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ?

यदि हाँ, तो जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव व चिन्यालीसौड़ में मिनी कृषि मण्डी की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मिनी मण्डी स्थापना का कोई भी निर्णय मण्डी परिषद् के मा0 संचालक मण्डल द्वारा नहीं लिया गया है।

जिला हरिद्वार की विस्थापित बस्ती गैण्डीखाता में शिक्षा हेतु स्कूल/कॉलेज बनाने की योजना

10—श्री तसलीम अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग जिला हरिद्वार की विस्थापित बस्ती गैण्डीखाता में लगभग 15 कि0मी0 के दायरे में कक्षा 10, 12 तक की शिक्षा हेतु कोई स्कूल/कॉलेज नहीं है ?

क्या सरकार की उक्त बस्तियों में स्कूल/कॉलेज बनाने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

विद्यालय संचालित है।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

15 कि0मी0 की परिधि में पूर्व से ही विद्यालय संचालित है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी के विरुद्ध कथित जाँच का परिणाम

11–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक सं0 2073/जाँच/04–05 दिनांक 30–7–2004 पर मुख्यमंत्री द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी की मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल से जाँच करवाये जाने तथा एक माह में जाँच आख्या उपलब्ध करवाये जाने के आदेश पारित किये गये थे ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त जाँच पूर्ण हो चुकी है एवं जाँच के क्या परिणाम निकले ?

सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

सम्प्रति विचाराधीन है।

कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों को विकलांग वाहन भत्ता देने पर विचार

12–श्री अजय भट्ट एवं श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों को विकलांग वाहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों को भी सरकारी विद्यालयों में अनुमन्य सुविधानुसार विकलांग वाहन भत्ता देने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों को विकलांग वाहन भत्ता दिया जा रहा है।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन है।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के पुरोला के प्राथमिक विद्यालय कंताड़ी में रेगुलर अध्यापक की नियुक्ति

13–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के प्राथमिक विद्यालय कंताड़ी में 126 छात्रों पर केवल एक शिक्षा मित्र तैनात है ?

यदि हाँ, तो प्राथमिक विद्यालय कंताड़ी में रेगुलर अध्यापक की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

विकास खण्ड पुरोला के प्राथमिक विद्यालय कंताड़ी की छात्र संख्या वर्तमान में 140 है। इस विद्यालय में एक नियमित अध्यापक एवं एक शिक्षा मित्र तैनात है।

उक्त विद्यालय में एक नियमित अध्यापक तैनात है तथा छात्र अनुपात के आधार पर एक और अध्यापक तैनात किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि निदेशालय द्वारा वर्ष 2004–05 में रसायनिक दवाईयां एवं पाली हाऊसों की खरीद का पूर्ण विवरण

14–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि निदेशालय द्वारा वर्ष 2004–05 में कुल कितनी धनराशि की रसायनिक दवाईयां तथा पाली हाऊसों की खरीद की गई है तथा उपरोक्त सामग्री किस फर्म से खरीदी गयी ? क्रय की गयी सामग्री कहां–कहां वितरित की गई ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

वर्ष 2004–05 में राज्य में कुल 28,92,709/– (रु0 अट्ठाईस लाख बयानवे हजार सात सौ नौ मात्र) की रासायनिक दवाईयां क्रय की गई। राज्य के समस्त जनपदों के समस्त विकास खण्डों में स्थापित कृषि रक्षा इकाईयों के माध्यम से कृषकों को रासायनिक दवाईयां उपलब्ध कराई गई। फर्म का नाम तथा क्रय किये गये रसायनों का विवरण संलग्न–1 में उपलब्ध है। (नत्थी–क)

वर्ष 2004–05 में कुल 62 पॉलीहाऊस जिनका कुल मूल्य 14.70 लाख (रु0 चौदह लाख सत्तर हजार मात्र) है, क्रय किये गये। पॉलीहाऊसों का क्रय अजय कुमार एण्ड कम्पनी, सी 149 मोतीनगर, नई दिल्ली से उनकी निविदायें स्वीकृत करने के पश्चात् किये गये। जिलेवार क्रय किये गये पॉलीहाऊसों की सूचना संलग्न–2 के अनुसार है।

(नत्थी–क) पॉली हाऊसों की सूचना देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ 108–110 पर

जनपद उत्तरकाशी में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि तथा इससे. सम्पादित कार्य

15–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वित्तीय वर्ष 2004–05 में सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत विभाग को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

विभाग द्वारा उपरोक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि से क्या–क्या कार्य सम्पादित कराये गये ?

क्या सरकार जनपद में कराये गये सम्पूर्ण कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

वित्तीय वर्ष 2004–05 में जनपद उत्तरकाशी को सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत रु0 470.95 लाख (रुपये चार करोड सत्तर लाख पिच्चानवे हजार मात्र) की धनराशि प्राप्त हुई है।

वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु0 449.52 लाख (रुपये चार करोड़ उन्चास लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि से निम्न कार्य सम्पादित किये गये:–

क्र0 सं0	मद का नाम	व्यय की गयी धनराशि (लाख रु0 में)	क्र0 सं0	मद का नाम	व्यय की गयी धनराशि (लाख रु0 में)
1.	निर्माण कार्य	166.55	8.	आई0ई0डी0	8.44
2.	शिक्षण अधिगम सामग्री	32.00	9.	नवाचारी कार्यक्रम	48.47
3.	विद्यालय विकास अनुदान	4.78	10.	शिक्षक वेतन	101.00
4.	लघु मरम्मत	8.75	11.	अध्यापक प्रशिक्षण	13.71
5.	टीएलएम	4.70	12.	बीआरसी वेतन एवं अन्य व्यय	1.41
6.	ईजीएस	6.62	13.	आरईएमएस	2.67
7.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	18.23	14.	प्रबन्धकीय व्यय	32.19
				सम्पूर्ण 14 मदों का योग–	449.52

उपरोक्तानुसार जनपद में कराये गये सम्पूर्ण कार्यों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के रा0इ0का0 गणेशनगर के भूकम्प से क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण की योजना

16—श्रीमती आशा देवी—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग के रा0इ0का0 गणेशनगर में विद्यालय का मुख्य भवन वर्ष 1998 के भूकम्प से क्षतिग्रस्त हो चुका है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र हित में यथाशीघ्र भवन निर्माण की योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

सम्प्रति कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में जूनियर स्तर की बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के बालकों को पैराग्लाडिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था

17—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जूनियर स्तर की सभी बालिकाओं व अनुसूचित जाति व जनजाति के बालकों को पैराग्लाडिंग का प्रशिक्षण प्रत्येक ब्लॉक में दिये जाने की व्यवस्था की गई थी ?

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

यदि हाँ, तो विकासखण्डवार कब—कब प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये और प्रशिक्षण शिविरों में कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

जी नहीं। यह सत्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद के सभी विकासखण्डों में निम्नानुसार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये :—

विकासखण्ड का नाम	प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक एवं बालिकाओं की संख्या
भटवाड़ी	13–4–2005 से 15–4–2005 तक	251
डुण्डा	10–4–2005 से 12–4–2005 तक	251
चिन्यालीसौड	7–4–2005 से 9–4–2005 तक	251
नौगाँव	13–4–2005 से 15–4–2005 तक	251
पुरोला	10–4–2005 से 12–4–2005 तक	251
मोरी	7–4–2005 से 9–4–2005 तक	251
	योग	1506

प्रशिक्षण में रु0 14,99,976.00 (रुपये चौदह लाख निन्यानब्बे हजार नौ सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि व्यय की गयी।

जनपद उत्तरकाशी में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जूनियर स्तर की बालिकाओं को सिलाई का प्रशिक्षण का विवरण

18—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जूनियर स्तर की बालिकाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिया जाना था ?

क्या यह सत्य है कि यह कार्य एक स्वयंसेवी संस्था को दिया गया ?

यदि हाँ, तो 31 मार्च, 2005 तक उक्त संस्था को उपरोक्त कार्य के एवज में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया तथा कुल कितनी बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं कहाँ—कहाँ पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

जी नहीं। यह कार्य एक स्वयंसेवी संस्था को न देकर अपितु विभिन्न 14 स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सम्पन्न करवाया गया।

31 मार्च 2005 तक सम्बन्धित स्वयंसेवी संस्थाओं को उपरोक्त कार्य के एवज में रु0 9,92,800.00 (रुपये नौ लाख बयानब्बे हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि का भुगतान किया गया, जिससे 191 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की 9479 बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण जनपद के चयनित उक्त 191 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के बनचौरा–दिवारीखोल नामे तोक में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हेतु भवन निर्माण

19–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड के बनचौरा–दिवारीखोल नामे तोक में श्री राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिये भूमि का चयन कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो विद्यालय भवन निर्माण कब से प्रारम्भ कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय हेतु भूमि का चयन विकास खण्ड चिन्यालीसौंड के ग्राम धारकोट, पट्टी–बिष्ट (दीवारीखोल) मध्ये बिजोटी नामे तोक में किया गया है।

भूमि हस्तानान्तरण एवं आगणनों की स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालयों में बालिका इण्टर कालेज की स्थापना

20–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालयों में बालिका इण्टर कालेज स्थापित किये जाने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड व नौगांव में बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कब तक कर ली जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगांव से स्योटी उद्यान तक कृषि विपणन हेतु रोप–वे की मांग

21–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या कृषि विपणन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत स्योटी नामक उद्यान से नौगांव तक कृषि फसलों को लाने के लिए कृषकों को यातायात सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कृषकों के हित में नौगांव से स्योटी उद्यान तक रोप–वे स्थापित करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

जी हाँ।

जनपद उत्तरकाशी में स्योटी उद्यान से नौगांव तक रोप–वे निर्माण का कोई प्रस्ताव वर्तमान में मण्डी परिषद् के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय इण्टर कालेज चौरपाल, पिथौरागढ़ में प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापकों की तैनाती

22–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा के वर्ष 2005 के द्वितीय सत्र के प्रथम बुद्धवार हेतु पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संदर्भ राजकीय इण्टर कालेज चौरपाल, पिथौरागढ़ में प्रवक्ता के पाँच तथा सहायक अध्यापकों के सात रिक्त पदों पर तैनाती कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो कब तक तैनाती कर दी जायेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ के रा0इ0का0 चौरपाल में प्रवक्ता के 05 रिक्त पदों के सापेक्ष 03 पदों तथा सहायक अध्यापक के 07 पदों पर तैनाती कर दी गई है।

प्रवक्ता के पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी में 26 बी0एड0 प्रशिक्षितों की नियुक्ति

23–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दि0 21–05–2005 को जनपद उत्तरकाशी में 26 बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) उत्तरकाशी व उत्तरांचल शासन को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त को नियुक्ति दी जाय ?

क्या यह सत्य है कि अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) उत्तरकाशी द्वारा 26 पद आरक्षित किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो उपरोक्त 26 बी०एड० प्रशिक्षतों को कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनपद उत्तरकाशी में 26 बी०एड० प्रशिक्षितों को प्रोविजनली नियुक्ति दिये जाने पर विचार करने हेतु दिनांक 21–5–2005 में आदेश दिये गये हैं।

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में न्यायिक परामर्श प्राप्त किया जा रहा है।

न्यायिक परामर्श के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पिथौरागढ़ में रा०उ०मा० विद्यालय चिंगरी का उच्चीकरण

24–श्री प्रकाश पंत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में रा०उ०मा० विद्यालय चिंगरी का उच्चीकरण इण्टरमीडिएट स्तर तक किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो शैक्षिणिक सत्र, 2005–06 में उक्त विद्यालय का उच्चीकरण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रा०उ०मा० विद्यालय चिंगरी नाम का कोई विद्यालय जनपद पिथौरागढ़ में संचालित नहीं है।

जनपद चमोली के वि०खं० कर्णप्रयाग के अन्तर्गत प्रा०वि० सिमतोली के क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण

25–श्री अनिल नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली में कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत प्रा०वि० सिमतोली का भवन 3–4 वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था ?

यदि हाँ, तो कब तक भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं। प्राथमिक विद्यालय सिमतोली विकास खण्ड कर्णप्रयाग का भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नहीं है अपितु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वर्ष 2005–06 में ब्लॉक कोर कमेटी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (वर्ष 2005–06) में प्रा0वि0 सिमतोली को पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के गैरसैंण अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालय मरोड़ा एवं जू0हा0 सिलपाटा एवं मैखोली का उच्चीकरण

26–श्री अनिल नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालय मरोड़ा तथा जू0हा0 सिलपाटा एवं मैखोली का उच्चीकरण कब तक हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उच्चीकरण हेतु विभागीय मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में जू0हा0 सेल तथा कुम्याचौड़ का उच्चीकरण

27–श्री प्रकाश पंत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में जू0हा0 सेल तथा कुम्याचौड़ का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्या शैक्षिणिक सत्र, 2005–06 में उक्त विद्यालयों का उच्चीकरण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जू0हा0 सेल के उच्चीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है। जू0हा0 कुम्याचौड़ उच्चीकरण हेतु मानकों को पूर्ण नहीं करता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग के रा0उ0मा0 विद्यालय सोनला कण्डारा के उच्चीकरण की मांग

28—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के रा0उ0मा0 विद्यालय सोनला कण्डारा के उच्चीकरण की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या मा0 मंत्री जी उक्त विद्यालय को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राथमिकता देंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

रा0उ0मा0वि0 सोनला कण्डारा नामक कोई विद्यालय जनपद चमोली में संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के रा0इ0 कालेज नैनीसैण में विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी अध्यापकों की तैनाती

29—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के रा0इ0 कालेज नैनीसैंण में विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी के अध्यापकों की तैनाती कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के पोखरी के रा0उ0मा0 विद्यालय थालावैड के उच्चीकरण की मांग

30—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के रा0उ0मा0 विद्यालय थालावैड के उच्चीकरण की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उक्त विद्यालय के उच्चीकरण हेतु मान्यता प्रदान करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में रा0इ0 कालेजों में प्रधानाचार्यों तथा प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति

31–श्रीमती आशा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में वर्तमान में रा0इ0 कालेजों में प्रधानाचार्यों तथा प्रवक्ताओं के कितने पद रिक्त एवं प्रधानाचार्य विहीन कुल कितने विद्यालय हैं ?

क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का प्रयास कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानाचार्यों के 40 एवं प्रवक्ता के 188 पद रिक्त हैं। इस प्रकार 40 विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन हैं।

जी हाँ।

प्रवक्ता के 188 रिक्त पदों के सापेक्ष 55 पदों पर पदोन्नति द्वारा व्यवस्था कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के रा0 बालिका इण्टर कालेज भवाली एवं भीमताल के भवनों का निर्माण

32–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल के भीमताल में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 नवम्बर, 2004 को भवन लोकार्पण के दिन रा0 बालिका इण्टर कालेज भवाली एवं भीमताल के भवनों के निर्माण की घोषणा की थी ?

यदि हाँ, तो उक्त भवन की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

सम्प्रति कार्यवाही गतिमान है।

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज द्वाराहाट को इण्टर स्तर पर विज्ञान वर्ग की मान्यता

33—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज द्वाराहाट को इण्टर स्तर पर "विज्ञान वर्ग" की मान्यता दी जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज द्वाराहाट, अल्मोड़ा में इण्टर स्तर पर विज्ञान वर्ग की स्वीकृति दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार में जिला पंचायत की भूमि व भवनों पर संचालित प्राइमरी जू0हा0 स्कूल व माध्यमिक स्कूलों की संख्या

34—काजी निजामुद्दीन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में कितने ऐसे प्राइमरी जू0हा0 स्कूल व माध्यमिक स्कूल हैं जो जिला पंचायत की भूमि व भवनों में संचालित किये जा रहे हैं ?

क्या इन भवनों की स्थिति स्कूलों के संचालन के अनुरूप है ?

इनमें से ऐसे कितने भवन हैं जो कि अत्यन्त जीर्ण—शीर्ण स्थिति में हैं ?

क्या सरकार इनके पुनः निर्माण अथवा स्कूल को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जनपद का कोई भी राजकीय/परिषदीय विद्यालय जिला पंचायत की भूमि एवं भवनों पर संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट की ग्राम सभा मोखतल्ला के ग्राम चाकलाखेत में प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार

35—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट की ग्राम सभा मोखतल्ला के ग्राम चाकलाखेत में सरकार प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

राज्य सरकार के मानकानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु चयनित बस्ती में कम से कम 40 छात्र संख्या तथा 1 किमी0 की परिधि में कोई भी प्राथमिक विद्यालय न होने पर ही नवीन विद्यालय स्वीकृत होता है। विकास खण्ड घाट के ग्राम सभा मोखतल्ला के ग्राम चाकलाखेत में सर्व शिक्षा अभियान चमोली के द्वारा शिक्षा गारण्टी केन्द्र खोला गया है।

जनपद चमोली के वि0खं0 कर्णप्रयाग के तल्लावारों में स्थित जीर्ण—शीर्ण प्राथमिक विद्यालय भवन के नवनिर्माण पर विचार

36—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के तल्लावारों में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन की स्थिति अत्यन्त जीर्ण—शीर्ण है ?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवन के नव निर्माण पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

जी नहीं।

विकास खण्ड कर्णप्रयाग की ब्लॉक कोर कमेटी द्वारा तल्लावारों में स्थित जीर्ण—शीर्ण प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तावित न होने के कारण वर्ष 2005—06 के निर्माण कार्य में प्रस्तावित नहीं किया जा सका। ब्लॉक कोर कमेटी कर्णप्रयाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वर्ष 2006—07 में भवन पुनर्निर्माण हेतु विचार किया जायेगा।

37—श्री नारायण सिंह जन्तवाल—

(प्रथम सोमवार के अता0 134 में स्था0)।

जनपद उत्तरकाशी के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट में बी0टी0सी0 प्रशिक्षणरत शिक्षा विशारद उपाधि धारक तथा बी0एड0 अभ्यर्थियों की संख्या

38—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट में वर्ष 2004—05 में कुल कितने विशेष बी0टी0सी0 प्रशिक्षणरत रहे कुल कितने अभ्यर्थी शिक्षा विशारद उपाधि धारक तथा बी0एड0 थे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जनपद उत्तरकाशी के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट के सत्र 2004—05 में कुल 171 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षणरत रहे। 05 प्रशिक्षार्थी शिक्षा विशारद उपाधि धारक थे।

उत्तरकाशी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट के वर्ष 2004—05 में सी0पी0एड0 तथा बी0पी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों एवं संस्थानों की सूची

39—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट में वर्ष 2004—05 में प्रशिक्षणरत रहे कितने अभ्यर्थी किन—किन संस्थाओं में सी0पी0एड0 तथा बी0पी0एड0 डिप्लोमा/डिग्रीधारक सम्मिलित थे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जनपद उत्तरकाशी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट के वर्ष 2004—05 में 30 सी0पी0एड0 तथा बी0पी0एड0 अभ्यर्थी प्रशिक्षणरत रहे। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा निम्न संस्थाओं में सी0पी0एड0 तथा बी0पी0एड0 डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की गयी थी :—

डिप्लोमा डिग्री	संस्थान	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3
सीपीएड	महारानी लक्ष्मीबाई व्यायाम मन्दिर व्यायाम कालेज झांसी	02
	राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर	03
	राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद	01
	योग	06

1	2	3
डीपीएड	महारानी लक्ष्मीबाई व्यायाम मन्दिर व्यायाम कालेज झांसी	11
	राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद	04
	योग	15
बीपीएड	नागपुर विश्वविद्यालय	05
	जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	01
	अमरावती विश्वविद्यालय	01
	डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा	01
	राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद	01
	योग	09
	महायोग	30

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के ग्राम पंचायत इशाला में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की मांग पर विचार

40–श्रीमती आशा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के ग्राम पंचायत इशाला में जूनियर हाईस्कूल की मांग की जा रही है ?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त गांव में इसी वित्तीय वर्ष में जूनियर हाईस्कूल खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

ग्राम पंचायत इशाला से मात्र दो किमी0 की दूरी पर राजकीय इण्टर कालेज काण्डई दशज्यूला है। राज्य सरकार के मानकानुसार तीन किमी0 परिधि में ही नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जा सकता है। वर्तमान में इशाला के बच्चे राजकीय इण्टर कालेज काण्डई दशज्यूला में अध्ययनरत है।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम आसों जयकण्डी में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव

41–श्रीमती आशा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम आसों जयकण्डी में जूनियर हाईस्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो सरकार इसी वित्तीय वर्ष में उक्त गांव में जूनियर हाईस्कूल खोलेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

ग्राम आसों जयकण्डी से दो किमी0 की दूरी पर जूनियर हाईस्कूल पिल्लू संचालित है। राज्य सरकार के मानकानुसार तीन किमी0 परिधि में ही नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जा सकता है। वर्तमान में आसों जयकण्डी के बच्चे जूनियर हाईस्कूल पिल्लू में अध्ययन करते हैं।

रा0इ0 कालेज नन्दप्रयाग जनपद चमोली के जर्जर भवन का नव निर्माण

42–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रा0इ0 कालेज नन्दप्रयाग जनपद चमोली के जर्जर भवन के नव निर्माण हेतु शासन द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

क्या उक्त भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

राजकीय इण्टर कालेज नन्दप्रयाग, चमोली के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रु0 124.50 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अद्यतन रु0 48.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र काशीपुर के ग्राम शिवलालपुर–अमरझण्डा, ढकिया नं0 1 एवं जुर्का नं0 1 में कन्या हाई स्कूल खोलने की मांग

43–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के ग्राम शिवलालपुर–अमरझण्डा, ढकिया नं0 1 एवं जुर्का नं0 1 की जनता कन्या हाईस्कूलों को खोले जाने की मांग कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर कन्या हाईस्कूलों के खोले जाने हेतु स्वीकृति दिये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र काशीपुर अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल बरखेडी, ढकिया नं0 1 पैगा एवं धीमरखेड़ा के उच्चीकरण की मांग

44–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि ऊधमसिंह नगर जनपद में विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल बरखेडी, ढकिया नं0 1 पैगा एवं धीमरखेड़ा के उच्चीकरण की मांग जनता लम्बे समय से कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त विद्यालय के उच्चीकरण का निर्णय ले लिया गया है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं।

सत्र 2004–05 में जनपद देहरादून अन्तर्गत डोईवाला में जूनियर हाईस्कूलों एवं हाईस्कूलों का उच्चीकरण

45–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के डोईवाला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने जूनियर हाईस्कूलों एवं हाईस्कूलों का उच्चीकरण सत्र, 2004–05 में किया गया तथा उसका विवरण क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सत्र 2004–05 में विधान सभा क्षेत्र डोईवाला, जनपद देहरादून में किसी जूनियर हाईस्कूलों एवं हाईस्कूलों का उच्चीकरण नहीं किया गया है।

राज्य के गैर सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण पर विचार

46–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा गैर सरकारी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों (पब्लिक स्कूल) में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई हेतु आरक्षण पर विचार किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्री प्राइमरी से जूनियर हाईस्कूल स्तर तक के अंग्रेजी माध्यम के गैर सरकारी विद्यालय (पब्लिक स्कूल) सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 केन्द्रीय बोर्डों से सम्बद्ध होते हैं तथा इन विद्यालयों पर इन्हीं बोर्डों के नियम लागू होते हैं।

राज्य में संचालित ई0जी0एस0 तथा ए0एस0 शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत आचार्य व अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि पर विचार

47–श्री प्रकाश पंत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य में ई0जी0एस0 तथा ए0एस0 शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या इन केन्द्रों में कार्यरत आचार्य व अनुदेशकों को मानदेय भी दिया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शिक्षा मित्रों की भांति इनके मानदेय में वृद्धि किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक तथा कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

रु0 1500/– प्रतिमाह। समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत व्यवसायिक शिक्षक व शिक्षिकाओं के मानदेय का भुगतान

48–श्री प्रकाश पंत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय आधार पर व्यवसायिक शिक्षक व शिक्षिकायें कार्यरत हैं ?

यदि हाँ, तो क्या उनके मानदेय का नियमित भुगतान किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण।

जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेज श्रीकोट में प्रवक्ता तथा प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर तैनाती

49–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेज श्रीकोट (चिन्यालीसौंड) में प्रवक्ता भौतिक, जीवविज्ञान, संस्कृत, इतिहास तथा प्रधानाचार्य के पद लम्बे समय से रिक्त होने के कारण छात्र/छात्राओं के अध्ययन पर कुप्रभाव पड रहा है ?

यदि हाँ, तो छात्रहित में प्रवक्ताओं व प्रधानाचार्य की तैनाती कब तक सुनिश्चित कर दी जावेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रवक्ताओं के रिक्त पदों के कारण अध्यापन का कार्य सहायक अध्यापकों द्वारा कराया जा रहा है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि मण्डी परिषद् उत्तरांचल द्वारा विकास खण्ड डोईवाला के अन्तर्गत मियांवाला ग्राम पंचायत में हाट बाजार रोड हेतु धनराशि का आवंटन

50–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि मण्डी परिषद् उत्तरांचल द्वारा देहरादून जनपद के डोईवाला विकास खण्ड के अन्तर्गत मियांवाला ग्राम पंचायत में हाट बाजार रोड हेतु धन आवंटित किया गया है ?

यदि हाँ, तो कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

जी हाँ।

रुपये 20.00 लाख की परियोजना की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत द्वाराहाट के रा0उ0मा0 विद्यालय बटुलिया एवं जू0 कर्मोत्तर विद्यालय ईड़ा चौधार के उच्चीकरण की मांग

51–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट के अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालय बटुलिया और जू0 कर्मोत्तर विद्यालय ईड़ा चौधार को इण्टर व हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त विद्यालय को इसी वित्तीय वर्ष में उच्चीकृत किये जाने का निर्णय लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत आदर्श विद्यालय भीमताल में मानकों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति

52–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत आदर्श विद्यालय, भीमताल में मानकों के अनुसार शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है ?

यदि हाँ, तो सरकार मानकों के अनुरूप विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार प्रदेश में आदर्श विद्यालयों को समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आदर्श विद्यालय संवर्ग में नियुक्तियों का प्राविधान न होने के कारण नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

जी नहीं।

जनपद चमोली के अन्तर्गत ग्राम गोख तल्ला के चाकलाखेत गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार

53–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के ग्राम गोख तल्ला के चाकलाखेत गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

राज्य सरकार के मानकानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु चयनित बस्ती में कम से कम 40 छात्र संख्या तथा 1 किमी0 की परिधि में कोई भी प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत न होने पर ही नवीन विद्यालय स्वीकृत होता है विकासखण्ड घाट के ग्राम सभा गोखतल्ला के ग्राम चाकलाखेत में सर्व शिक्षा अभियान, चमोली के द्वारा शिक्षा गारण्टी केन्द्र खोला गया है। जिसमें वर्तमान में 23 बच्चे अध्ययनरत हैं।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति

54–श्री प्रकाश पंत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों हेतु जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आवेदन–पत्र जमा कराये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

सम्प्रति चयन प्रक्रिया स्थगित की गई है।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत आदर्श इण्टर कालेज सुरईखेत (बिठोली) द्वाराहाट में 'जीव विज्ञान' विषय खोलने की मांग

55–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत आदर्श इण्टर कालेज सुरईखेत (बिठोली) द्वाराहाट में 'जीव विज्ञान' विषय खोल दिया गया है ?

यदि नहीं, तो उक्त विषय कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया के अन्तर्गत लाल बहादुर शास्त्री उ0मा0 विद्यालय नगाड को वित्तीय अनुदान सूची में शामिल किए जाने पर विचार

56–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया विकास खण्ड अन्तर्गत 'लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगाड को वित्तीय अनुदान में शामिल किया गया है ?

यदि नहीं, तो उक्त विद्यालय को कब तक वित्तीय अनुदान में शामिल किया जायेगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

सम्प्रति वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में नहीं लिया जाना है।

प्रदेश में कुछ प्राथमिक विद्यालय बन्द किए जाने का विवरण

57–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुछ प्राथमिक विद्यालय बन्द करवा दिये हैं ?

यदि हाँ, तो क्यों तथा उनका विवरण क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में कस्तूरबा गाँधी नवोदय विद्यालय खोले जाने की घोषणा

58–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में कितने कस्तूरबा गांधी नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे तथा नवोदय विद्यालय खोलने हेतु स्थान चयन का आधार क्या है ?

क्या प्रत्येक विकासखण्ड में नवोदय विद्यालय खोला जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

कस्तूरबा गांधी नवोदय विद्यालय खोलने की कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण का प्रावधान

59–श्री प्रकाश पंत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा दिये जाने का प्रावधान है ?

यदि हाँ, तो व्यवसासिक शिक्षा अन्तर्गत किन–किन विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ?

क्या प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों को मानदेय दिया जा रहा है।

यदि हाँ, तो कितना ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

सम्प्रति व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत पाक कला, अंकेक्षण, धुलाई–रंगाई, पुस्तकालय विज्ञान, सचिवीय पद्धति, नर्सरी शिशु प्रशिक्षण, बुनाई तकनीकी, बेकिंग एण्ड कन्फैक्सनरी, परिधान–रचना, रेडियो/टी0वी0 आशुलिपिक/ टंकण, एकाउन्टेंसी, फोटोग्राफी, खाद्य संरक्षण, बुनियादी स्वास्थ्य कर्मी, आटोमोबाइल व टैक्सटाइल ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि0खं0 द्वाराहाट के रा0 बालिका इण्टर कालेज के क्षतिग्रस्त भवनों का पुनः निर्माण

60–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड के रा0 बालिका इण्टर कालेज द्वाराहाट के क्षतिग्रस्त भवनों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में शासन को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में उक्त विद्यालय के क्षतिग्रस्त भवनों का पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

विद्यालय भवन की क्षति के परीक्षणोपरान्त वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

सी0टी0 वेतन निर्धारण हेतु शिक्षा निदेशक व शिक्षा प्रतिनिधियों के मध्य समझौते का विवरण

61–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सी0टी0 वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक 20–5–2005 को शिक्षा मंत्री के निर्देशन में शिक्षा निदेशक व शिक्षा प्रतिनिधियों के मध्य कोई समझौता किया गया है ?

यदि हाँ, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं तथा समझौते को लागू कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगांव में कन्या हाईस्कूल खोले जाने की मांग

62–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में छात्राओं की संख्या को देखते हुए क्षेत्रीय जनता द्वारा मुख्यालय नौगांव में कन्या हाईस्कूल खोले जाने की मांग की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कन्या हाईस्कूल कब तक खोल दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

कन्या जूनियर हाईस्कूल मुराड़ी हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण हेतु मानकों को पूर्ण नहीं करता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के वि0ख0 घाट के राजकीय इण्टर कॉलेज काण्डेय दशोली के वर्षा से ध्वस्त भवन के निर्माण हेतु वित्तीय व्यवस्था

63–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के राजकीय इण्टर कॉलेज काण्डेय दशोली का भवन 29 जून, 2005 को हुई अत्यधिक वर्षा के कारण ध्वस्त हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन निर्माण हेतु वित्तीय व्यवस्था करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार

जनपद चमोली के वि0ख0 घाट के राजकीय इण्टर कॉलेज काण्डेय दशोली में स्थानान्तरित अध्यापकों की जगह पर तैनाती

64–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के राजकीय इण्टर कॉलेज काण्डेय दशोली में वर्तमान वर्ष में कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किए गये ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि स्थानान्तरण के पश्चात् रिक्त स्थान पर अध्यापकों की तैनाती कर दी गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

राजकीय इण्टर कॉलेज काण्डेय दशोली से तीन अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी परिषद् में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

65–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या कृषि मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि मण्डी परिषद् में रिक्त विभिन्न श्रेणियों के 192 पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के सम्बन्ध में कोई जाँच शासन स्तर पर लम्बित हैं ?

यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान प्रगति क्या है ?

सरकार कब तक इन पदों पर नियुक्ति प्रदान कर देगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियुक्ति हेतु विज्ञापित 25 पदनामों में से 08 पदनामों के साक्षात्कार की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। वर्तमान में मण्डी समितियों के चुनावों की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यवाही स्थगित है।

जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय नापड के जीर्णशीर्ण भवन का निर्माण

66–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय नापड़ का भवन ध्वस्त है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं। उक्त विद्यालय जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है।

जी हाँ।

वर्ष 2006–07।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय सीढ़ी चामा क्षेत्र मुन्स्यारी के जीर्ण–शीर्ण भवन का निर्माण

67–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय सीढ़ी चामा क्षेत्र मुन्स्यारी का भवन ध्वस्त हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन हेतु वर्ष 2006 तक धन उपलब्ध करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं। प्रा0वि0 सीढ़ी चामा क्षेत्र मुन्स्यारी का भवन जीर्ण–शीर्ण है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जूनियर हाईस्कूल तथा रा0उ0मा0 विद्यालयों के उच्चीकरण के मानक

68–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जूनियर हाईस्कूल तथा रा0उ0मा0 विद्यालयों के उच्चीकरण के क्या मानक हैं ?

क्या वर्ष 2005 में उच्चीकृत विद्यालयों का उच्चीकरण मानकों के अनुरूप किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जूनियर हाईस्कूल :–

1–क्षेत्र की सेवित जनसंख्या 8,000 से अधिक होनी चाहिए।

2–प्रस्तावित स्थान पर स्थित जूनियर हाईस्कूल की कक्षा 6 से 8 की छात्र संख्या कम से कम 85 होनी चाहिए।

3–कक्षा नौं की अनुमानित छात्र संख्या कम से कम 25 होनी चाहिए।

4–10 कि0मी0 की परिधि में किसी अन्य हाईस्कूल/इण्टर का न होना।

5–निःशुल्क पर्याप्त भवन एवं अतिरिक्त निर्माण हेतु भूमि का उपलब्ध होना।

हाईस्कूल :–

1–क्षेत्र की सेवित जनसंख्या 8,000 से अधिक होनी चाहिए।

2–प्रस्तावित रा0हा0 में कक्षा 6 से 10 तक की छात्र संख्या कम से कम 150 होनी चाहिए।

3–कक्षा 11 की अनुमानित छात्र संख्या कम से कम 25 होनी चाहिए।

4–प्रस्तावित विद्यालय का प्रथम बैच हाईस्कूल की परीक्षा में कम से कम 5 वर्ष पूर्व बैठा होना चाहिए।

5–प्रस्तावित विद्यालय का गत तीन वर्षों का हाईस्कूल का परीक्षाफल 50 प्रतिशत होना चाहिए।

6–10 कि0मी0 की परिधि में किसी अन्य इण्टर कॉलेज का न होना।

7–निःशुल्क पर्याप्त भवन एवं अतिरिक्त निर्माण हेतु भूमि का उपलब्ध होना।

05 विद्यालयों का उच्चीकरण मानकानुसार शेष के मानकों में शिथिलीकरण के फलस्वरूप।

जनहित में।

जनपद चमोली के गैरसैंण वि0ख0 अन्तर्गत जू0हा0 स्कूल गौल के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान

69–श्री अनिल नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली में गैरसैंण विकासखण्ड के अन्तर्गत जू0हा0 स्कूल गौल के भवन निर्माण हेतु रु0 6 लाख की वित्तीय स्वीकृत सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त धनराशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 दोनों वर्षों का निर्माण कार्य वर्ष 2003–04 में एक ही साथ प्रारम्भ हुए वर्ष 2002–03 में भवनों के मानचित्र प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2002–03 में स्वीकृत विद्यालयों के निर्माण कार्यों को वर्ष 2002–03 में प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अतः दोनों वर्षों के निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ग्राम प्रधानों जनप्रतिनिधियों की बैठकोपरान्त लिये गये निर्णय में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों वर्ष 2002–03 और 2003–04 की भौतिक स्थिति में परिवर्तन न करते हुए प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा दूरी के मानकानुसार 3 श्रेणियों में धनराशि प्रति विद्यालय इकाई दर निम्नवत् निर्धारित की गयी :–

विद्यालय का नाम	प्रा0वि0 इकाई लागत रु0 में	उ0प्रा0वि0 इकाई लागत रु0 में
सुगम	310000.00	510000.00
दुर्गम	330000.00	525000.00
अतिदुर्गम	35000.00	550000.00

जनपद चमोली में कर्णप्रयाग वि0ख0 के ग्राम बैनोली एवं निकटवर्ती क्षेत्र में जू0हा0 स्कूल खोले जाने की मांग

70–श्री अनिल नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली में कर्णप्रयाग विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम बैनोली एवं निकटवर्ती क्षेत्र के ग्रामीण लम्बे समय से जू0हा0 स्कूल खोले जाने की मांग कर रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त क्षेत्र में कब तक जू0हा0 स्कूल खोला जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

ब्लॉक कोर कमेटी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही खोला जा सकता है।

ग्राम बैनोली तथा निकटस्थ क्षेत्र में जू0हा0 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार के मानकानुसार ब्लाक कोर कमेटी तथा जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा जिला शिक्षा समिति की बैठक में अनुमोदन के उपरान्त खोला जायेगा।

जनपद चमोली के गैरसैंण वि0ख0 अन्तर्गत ग्राम सभा पंचाली के रा0उ0मा0वि0 को कारगिल शहीद की स्मृति में उच्चीकृत किए जाने की मांग

71—श्री अनिल नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली में गैरसैंण विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम सभा पंचाली की जनता, कारगिल शहीद रणजीत सिंह बिष्ट की स्मृति में रा0उ0मा0वि0 पंचाली को उच्चीकृत किए जाने की मांग लम्बे समय से कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा रा0उ0मा0 विद्यालय पंचाली को शहीद रणजीत सिंह की स्मृति में उच्चीकृत किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाडी, डुण्डा, मोरी आदि गांवों को "बायो विलेज" के रूप में तथा वि0ख0 मुख्यालयों में वर्मीकल्चर सेन्टरों की स्थापना

72—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी, डुण्डा, चिन्यालीसौड़, नौगाँव, पुरोला और मोरी के अब तक किन—किन गाँवों को "बायो विलेज" के रूप में स्थापित किया जा चुका है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मुख्यालयों में वर्मीकल्चर सेन्टर स्थापित किये जा चुके हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)—

जनपद उत्तरकाशी के प्रत्येक विकास खण्ड यथा—भटवाडी, डुण्डा, चिन्यालीसौड़, नौगाँव, पुरोला और मोरी में अब तक 07—07 जैविक ग्रामों का चयन करके जैविक कृषि कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार जनपद उत्तरकाशी में अब तक 42 जैविक ग्रामों का चयन किया जा चुका है। विकास खण्डवार चयनित ग्रामों की सूची संलग्नक 01 में उल्लिखित है।

जनपद उत्तरकाशी के प्रत्येक विकास खण्ड में 01—01 वर्मीकल्चर सेन्टर की स्थापना की गई है। इस प्रकार अब तक कुल 06 वर्मीकल्चर सेन्टर की स्थापना की जा चुकी है। विकास खण्डवार वर्मीकल्चर की सूची संलग्न—02 में उल्लिखित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(चयनित जैविक ग्रामों तथा वर्मीकल्चर सेन्टर की सूची देखिए नत्थी 'ख' पृष्ठ 111—113 पर)

उत्तरांचल में संस्कृत विद्यालयों में समूह 'ग' एवं 'घ' के सृजित पदों की संख्या

73--श्री महेन्द्र भट्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में संस्कृत विद्यालयों में समूह 'ग' एवं 'घ' के कुल कितने पद सृजित हैं ?

क्या उत्तरांचल के सभी संस्कृत विद्यालयों में समूह 'ग' एवं 'घ' के पद सृजित हैं ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों को सृजित करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

उत्तरांचल के संस्कृत विद्यालयों में वर्तमान में समूह 'ग' के 12 एवं समूह 'घ' के 12 अर्थात् कुल 24 पद सृजित हैं।

जी नहीं।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार

प्रदेश में एल0टी0 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया एवं नव उच्चीकृत विद्यालयों में नियुक्ति

74--श्री महेन्द्र भट्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सरकार एल0टी0 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ कर देगी ?

क्या सरकार नव उच्चीकृत विद्यालयों में इन एल0टी0 अध्यापकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

अधिकांश नव उच्चीकृत विद्यालयों में एल0टी0 अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल कृषि निदेशालय का संचालन

75—श्री नारायण सिंह जन्तवाल—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल कृषि निदेशक का निदेशालय मण्डलीय मुख्यालय पौड़ी से संचालित हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)—

जी नहीं।

कृषि विभाग के संशोधित पुनर्गठन सम्बन्धी अधिसूचना सं0 966/कृषि—1(41)/2002, दिनांक 02 अगस्त, 2003 के प्रस्तर 16 में कृषि विभाग के कृषि निदेशक/विभागाध्यक्ष के मुख्यालय के सम्बन्ध में अलग आदेश निर्गत किये जाने का उल्लेख है। सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश सं0 1165/XIII/2005—1(71)/2005, दिनांक 4—8—2005 द्वारा कृषि निदेशालय अग्रिम आदेशों तक नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून में स्थित रहने एवं तद्नुरूप संचालित होते रहने के आदेश निर्गत किये गये हैं। तद्नुसार कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून से संचालित हो रहा है।

उत्तरांचल में शिक्षा मित्र के रूप में तैनात बी0एड0, बी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 प्रशिक्षितों का नियमितिकरण

76—श्री कैलाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में बी0एड0 बी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 प्रशिक्षित जो कि वर्तमान में शिक्षा मित्र के रूप में उत्तरांचल के विभिन्न प्रा0 पाठशालाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, को नियमित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा मित्र योजना अल्पकालीन व्यवस्था है। इस अस्थाई व्यवस्था को प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र की अवधि के लिए बढ़ाये जाने की अनुमति समय—समय पर प्रदान की जाती है।

जनपद उत्तरकाशी वि0ख0 चिन्यालीसौड़ के रा0इ0 कालेज में कृषि प्रवक्ता के रिक्त पद पर तैनाती

77—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के राजकीय इण्टर कालेज चिन्यालीसौड़ में कृषि प्रवक्ता का पद गत आठ वर्षों से रिक्त है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र हित में कृषि प्रवक्ता की तैनाती शिक्षण सत्र, 2005–06 में कराया जाना सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

सम्प्रति नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अधिकतम जनपदों में मै0 अशोक फर्म बुलन्दशहर से ही प्राथ0/उच्च प्राथ0 छात्रों को पुस्तक खरीदने के कथित आदेशों का निरस्तीकरण

78–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) जनपद अल्मोड़ा टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, चमोली, ऊधमसिंह नगर व देहरादून ने अपने–अपने जिलों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त प्रधानाध्यापकों को उत्तर प्रदेश की पुस्तक विक्रेता फर्म मै0 अशोक फर्म (रजि0) बुलन्दशहर की कक्षा 6, 7 व 8 की 30 पुस्तकों को छात्र/छात्राओं को क्रय करने व पठन–पाठन कराये जाने के आदेश जारी किये हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार इन जारी आदेशों, को निरस्त कर उच्चस्तरीय जांच करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, चमोली, ऊधमसिंह नगर व देहरादून द्वारा मै0 अशोक फर्म (रजि0) बुलन्दशहर को पुस्तकों के क्रय करने व पठन पाठन के कोई आदेश जारी नहीं किये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगांव में राजकीय इण्टर कालेज में वाणिज्य संकाय खोले जाने की घोषणा

79–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2003–04 में विकास खण्ड नौगांव जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेज नौगांव में वाणिज्य संकाय खोलने की घोषणा मोरी (उत्तरकाशी) में की गयी थी ?

यदि हाँ, तो राजकीय इण्टर कालेज नौगांव उत्तरकाशी में वाणिज्य संकाय कब तक खोल दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेज नौगांव में गणित प्रवक्ता के रिक्त पद पर तैनाती

80–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेज नौगाँव में गणित प्रवक्ता का पद लम्बे समय से रिक्त चल रहा है ?

क्या यह सत्य है कि लगभग 40 छात्र गणित विषय में अध्ययनरत हैं ?

यदि हाँ, तो गणित प्रवक्ता की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

सम्प्रति चयन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षकों का नियमितीकरण व अवशेष मानदेय का भुगतान

81–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षक नियमितीकरण व विगत पाँच वर्षों के अवशेष मानदेय भुगतान को लेकर विधान सभा के समक्ष दिनांक 27–07–2005 से आन्दोलनरत हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन शिक्षकों को नियमित कर इनका अवशेष मानदेय का भुगतान करायेगी ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के रा0इ0का0 रोहिड़ा के भवन का निर्माण

82—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के अन्तर्गत रा0इ0 कालेज रोहिड़ा के विद्यालय भवन निर्माण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भवन आगणन शासन को प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में छात्र/छात्राओं की अधिकता एवं विद्यालय भवन की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विद्यालय हेतु कक्ष निर्माण यथाशीघ्र करवायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत 28 राजकीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की तैनाती

83—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत 28 राजकीय आदर्श विद्यालयों में एक अथवा दो ही अध्यापक तैनात हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति छात्र मानकानुसार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं। जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत 28 राजकीय आदर्श विद्यालयों में से 23 में तीन—तीन सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। दो राजकीय आदर्श विद्यालय, अठाली, मोल्टाडी हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकृत हो गये हैं। एक राजकीय आदर्श विद्यालय बड़कोट में प्रधानाध्यापक व एक सहायक अध्यापक कार्यरत है। एक राजकीय आदर्श विद्यालय भटवाड़ी में छात्र/छात्रायें न होने से विद्यालय बन्द है तथा एक राजकीय आदर्श विद्यालय गोकुल में प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त शिक्षा मित्र कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आदर्श विद्यालय संवर्ग में नियुक्तियों का प्राविधान न होने के कारण नियुक्ति की कार्यवाही सम्भव नहीं है।

विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी में अध्ययनरत छात्रों की संख्या एवं रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति

84–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी में कुल कितने छात्र अध्ययनरत हैं तथा इस महाविद्यालय में अध्यापकों के कुल कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ?

क्या सरकार अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी में कुल 272 छात्र अध्ययनरत हैं। इस महाविद्यालय में प्रधानाचार्य का 01 पद तथा विभागाध्यक्ष का 01 पद अर्थात् कुल 02 पद वर्तमान में रिक्त हैं।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन है।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्वनाथ संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी की मान्यता तथा प्राध्यापकों के वेतनमान में विसंगति

85–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि विश्वनाथ संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी, प्रदेश के अन्य अशासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की भाँति ही मान्यता प्राप्त है ?

क्या यह सत्य है कि यहाँ के प्राध्यापकों (विभागाध्यक्ष, उप विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों) के वेतनमानों में विसंगति है ?

क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में भी वेतन विसंगति को दूर कर अन्य अशासकीय महाविद्यालयों के अनुरूप एक समान वेतन सुविधा दिये जाने पर विचार करेगी।

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

प्रश्नगत विद्यालय अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यसूची की मदों के क्रम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज की कार्य सूची में क्रम संख्या 37 में कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा गया है और उसके बाद क्रम संख्या 38 में उल्लिखित है नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हो। मान्यवर, हमारे यहां प्रचलित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 315 जिसका शीर्षक "सापेक्ष अग्रेता" है। कार्य सूची में किस तरह से कार्य आवंटन करेंगे, इस विषय में नियम 315 के उप नियम 27 में कहा गया है कि "सदन के कार्य स्थगित करने के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा" और इसी के बाद उपनियम 28 में कहा गया है "उस दिन के अन्य सामान्य कार्य।" मान्यवर, इस प्रकार कार्य स्थगन प्रस्ताव के बाद उस दिन के सामान्य कार्य आने चाहिए। लेकिन आज की कार्य सूची के क्रम संख्या 35 में उल्लिखित है "संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे।" तथा क्रम संख्या 36 में उल्लिखित है कि "संसदीय कार्य मंत्री निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।" मान्यवर, ये दोनों ही कार्य सामान्य कार्य की श्रेणी में आते हैं। नियम 315 के उप नियम 27 और 28 के अनुसार इन कार्य सूची में कार्य स्थगन की सूचना को इन दोनों कार्यों से पहले आना चाहिए था। मान्यवर, सामान्यतः भी यह विचार का प्रश्न है, हम कार्य स्थगन की सूचना ला रहे हैं और कह रहे हैं कि सदन का शेष कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करायी जाय। जब कार्य स्थगन सूचना के बाद कोई सामान्य कार्य ही नहीं होगा तो किसको स्थगित करेंगे ? क्रम संख्या 35 और 36 पर उल्लिखित कार्यों को क्रम संख्या 37 के बाद होना चाहिए था। इस प्रकार नियमावली के नियम 315 का उल्लंघन हुआ है। मैं इस विषय पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसको दिखवा लिया जाएगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से मैं श्री अजय भट्ट, श्रीमती विजय बडथ्वाल, श्री जुफाल, श्री अनिल नौटियाल, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री मदन कौशिक और श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट की सूचनाओं को स्वीकार करता हूँ, शेष सूचनाओं को अस्वीकार करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के ग्राम सभा खनिया एवं इससे लगे गांव में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के ग्राम सभा खनिया में एवं इससे लगे गाँव जैठा में भयंकर पेयजल संकट बना हुआ है। शहर के नजदीक होने के कारण दूर–दराज के लोगों ने अपने आवास इसी क्षेत्र में बनाने से एवं पूर्व में बनी पेयजल योजना का स्रोत सूख जाने से बरसात के दिनों में भी यहां के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है, कई लोगों ने पानी न होने के कारण अपने मकान बेच दिये हैं तथा कई लोगों ने अपने मकान बिकाऊ किये हैं, परन्तु पानी न होने की जानकारी के बाद अब मकान भी नहीं बिक रहे हैं। खनिया गाँव के ठीक नीचे से एक हमेशा बहने वाला जल स्रोत है जिससे मैंने पम्पिग योजना बनाने के लिए कई बार सरकार से आग्रह किया है। यहाँ पम्पिग योजना के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक साधन भी नहीं है। जब सरकार ने कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की, तब इस मामले को आज सदन के सम्मुख रखना पड़ा है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को खनिया–जैठा क्षेत्र के लिए पम्पिग पेयजल योजना बनाने के निर्देश देने का कष्ट करें।

जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में स्थित लोक निर्माण विभाग के डाक बंगला की मरम्मत/जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग के डाक बंगला कांडी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, उक्त डाक बंगला दो विकास खण्डों में अकेला डाक बंगला है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण डाक बंगले की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जाती है। क्योंकि जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों आदि के ठहरने की कोई सुविधा इन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। कई वर्षों पहले बना उक्त डाक बंगला आज जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, अगर इस बंगले की मरम्मत व जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो डाक बंगला ध्वस्त हो जायेगा।

अतः लोक निर्माण विभाग के कांडी डाक बंगले के पुनःनिर्माण हेतु सरकार का ध्यानाकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करती हूं।

जनपद पिथौरागढ में जंगली सुअरों द्वारा नष्ट की गई फसल का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ में जंगली सुअरों द्वारा दिनांक 6 व 7 सितम्बर, 2005 को डीडीहाट के ग्राम हाट, आकोट, भूमिया थल, बोरा बुंग व जुवरा गांव में धान की फसल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को नष्ट कर दिया है। पूरे क्षेत्र में सुअरों का आतंक बना हुआ है। सुअरों के आतंक से लोगों ने खेती करना बन्द कर दिया है। सुअरों द्वारा जो खेती नष्ट कर दी है, उसका मुआवजा दिया जाय तथा सुअरों से खेती बचाव हेतु उचित कार्यवाही की जाय।

जनपद चमोली के ग्राम रिखोली एवं नैल (खनसर) में पेयजल पाइप लाइन टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल नौटियाल–

महोदय, जनपद चमोली के गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम रिखोली एवं ग्राम नैल (खनसर) में पेयजल की भारी किल्लत पाइप लाइन टूटने के कारण हो गयी है, कई स्थानों पर पाइप टूट गये हैं व बह गये हैं, जिससे ग्रामवासी पेयजल हेतु काफी दूर जा रहे हैं, काफी समय से ग्रामवासी शिकायत करते आ रहे हैं किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पायी है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षण करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील द्वाराहाट में स्वीकृत महिला अस्पताल हेतु भूमि का चयन न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

[मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत तहसील द्वाराहाट में महिला अस्पताल की स्वीकृति होने के बावजूद आज तक भूमि का चयन नहीं किया गया और न ही महिला चिकित्सकों की नियुक्ति हुई। यदि इस स्वीकृत महिला अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चलाया जा रहा है तो खुद खस्ताहाल झेल रहा प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र जहां स्वयं स्वीकृत चिकित्सक के पदों पर नियुक्ति न हो और समस्त उपकरण सहित कर्मचारी न हों, ऐसे में महिलायें अपना भविष्य कैसे सुरक्षित रख सकती हैं और इस क्षेत्र में लगभग 50 किमी० दूरी पर कोई महिला अस्पताल की सुविधा भी नहीं है।

उक्त स्थिति क्षेत्र में विस्फोटक रूप लेती जा रही है और जनता में काफी आक्रोश व रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

[ ] उक्त सूचना पढ़ी हुई मानी गई।

प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एन0सी0बी0टी0 व्यवसायों में प्रवेश सम्बन्धी दि0 8 अगस्त, 05 का आदेश युक्तियुक्त न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एन0सी0वी0टी0 व्यवसायों में प्रवेश को लेकर दिनांक 8 अगस्त 2005 को एक आदेश निदेशक व्यवसायिक शिक्षा परिषद् उत्तरांचल (वी0पी0पी0/प्रवेश/निदेश/2005/473.88) द्वारा विभिन्न संस्थाओं में भेजा गया जिसके अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों को जो उत्तरांचल के मूल निवासी हैं और सम्बन्धित व्यवसाय की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तरांचल में अवस्थित विद्यालयों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है, को 5% अतिरिक्त अंक देकर मैरिट बनायी गयी। नवम्बर 2000 से पहले जिन्होंने उ0प्र0 से उक्त परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, उनको इसमें वंचित किया गया है। यह उन छात्रों के साथ अन्याय है, जो उत्तरांचल के वर्तमान मूल निवासी हैं और उन्होंने परीक्षा उस समय अपने ही प्रदेश में उत्तीर्ण की थी।

यह आदेश नियम विरुद्ध एवं तर्क संगत नहीं है।

अतः तुरन्त ही आवश्यक कार्यवाही हेतु सदन का ध्यान आकर्षित कर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0 से प्रवक्ता वेतन क्रम में की गई पदोन्नतियों में व्याप्त कथित विसंगति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भट्ट--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तरांचल में जुलाई 2005 में माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0 से प्रवक्ता वेतन क्रम में की गई पदोन्नतियों में व्याप्त विसंगतियों की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, विभाग द्वारा पदोन्नति नियमावली में पदोन्नति के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं परन्तु जुलाई, 2005 में की गई पदोन्नतियों में इनको नकारते हुए दो या तीन वर्ष पूर्व के अध्यापकों को पदोन्नति दे दी गई जबकि अनेकों अध्यापक जो बीस या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया है। महोदय, सी0टी0 ग्रेड के अध्यापकों को संविलियन की तिथि से सीधी नियुक्ति एल0टी0 वेतन क्रम में विभाग द्वारा माना गया है परन्तु वर्तमान पदोन्नति में संविलियन किये गये अध्यापकों से कनिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति दी गई। अनेकों विषयों के अध्यापकों को भी पदोन्नति लाभ से वंचित रखा गया। महोदय, सरकार के इस विसंगति पूर्ण निर्णय से अध्यापक वर्ग में असंतोष व्याप्त है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एल0टी0 से प्रवक्ता वेतन क्रम पदोन्नति में लम्बे समय से एक ही वेतन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्रम में कार्य करने वाले अध्यापकों को अनिवार्य रूप से वरीयता दी जाय तथा सी0टी0 ग्रेड के अध्यापकों को भी इस लाभ में सम्मिलित किया जाय।

मान्यवर, सूचना लोक महत्व की तथा अविलम्बनीय है अतः नियम 301 के अन्तर्गत इस सूचना के माध्यम से सदन का ध्यानाकर्षित कर इस पर समुचित कार्यवाही की मांग करता हूँ।

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा आज नियम 300 के अन्तर्गत विधान सभा में बजट सत्र एवं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अनेक लोक महत्व के मुद्दों पर माननीय सदस्यगण द्वारा दिये गये सुझाव एवं संशोधन पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष की यह सूचना यद्यपि औचित्य की परिधि में नहीं आती है। तथापि मैं शासन से अपेक्षा करता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिन बिन्दुओं का उल्लेख अपनी सूचना में किया है उनके सुझाव पर विचार कर लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

उत्तरांचल राज्य का 31 मार्च, 2004 तक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, से प्राप्त 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तरांचल सरकार का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति आयोग का मई, 2003 से 31 मार्च, 2005 का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, अधिनियम, 2003 की धारा 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून के मई, 2003 से 31 मार्च, 2005 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2005

कृषि मंत्री श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2005 को पटल पर रखता हूँ।]

उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) अध्यादेश, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) अध्यादेश, 2005 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) नियमावली, 2002

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 68 (3) में निहित प्राविधानानुसार, उत्तरांचल किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) नियमावली, 2002 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 2005

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 2005 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(चौधरी यशवीर सिंह को आश्वासन समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया किन्तु वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(चौधरी यशवीर सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित थे)

(चौधरी यशवीर सिंह को आश्वासन समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया किन्तु वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(चौधरी यशवीर सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित थे)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मद संख्या 08 की प्रतियां अभी वितरित नहीं हुई हैं।

(कई माननीय सदस्यों ने एक साथ कहा प्रतियां वितरित हुई हैं)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हमें प्रतियां नहीं मिली हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां पहले वितरित की जायं।

उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005–06) का सातवाँ प्रतिवेदन

*श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक लेखा समिति, उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005–06), का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा की आवास समिति (2005–06) का तृतीय प्रतिवेदन

*श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से आवास समिति, उत्तरांचल विधान सभा की आवास समिति (2005–2006), का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा की नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नियम समिति, उत्तरांचल विधान सभा की नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीमन्, इस प्रतिवेदन के साथ आज यह दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हमने नवोदित उत्तरांचल की पहली नियमावली को अंगीकृत करने के लिए सदन के सम्मुख रखा है। श्रीमन्, 11 दिसम्बर, 1958 को उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्य संचालन नियमावली को अंगीकृत किया था और उसके पश्चात् उत्तरांचल बना तो 16 जनवरी, 2001 को हमने उस नियमावली को कुछ संशोधन के साथ सदन में अंगीकृत किया था, लेकिन हमारी नियमावली नहीं बन पाई। श्रीमन्, इसका श्रेय पूरी तरह से आपको जाता है क्योंकि आपने विशेष रूप से ध्यान दिया और यह नियम समिति जो अंतरिम सरकार और वर्तमान सरकार में बनी और कई बैठकें की और वर्तमान निर्वाचित विधानसभा की 6 बैठकें हुईं और इसमें गहन चिन्तन हुआ और सम्यक् विचारोपरान्त कुछ विशेष प्राविधान हुए, जिनको मैं सदन के सम्मुख रखना चाहूँगा। कुछ प्राविधान तो उत्तरांचल की ऐतिहासिक दृष्टि से बन गये, इसमें नियम 14 में 90 उपवेशनों के स्थान पर 60 उपवेशन रखेंगे। श्रीमन्, पीठासीन अधिकारियों की बैठकों में भी सहमति बनी थी कि छोटी विधान सभा में 60 दिन और बड़ी विधान सभा में 90 दिन का उपवेशन होगा, तो यहाँ 90 के स्थान पर 60 किया है। श्रीमन्, नियमावली के नियम 25 में जो असरकारी सदस्यों का कार्य जिसके लिए नियमावली में प्राविधान था कि '5.00 बजे तक समाप्त हो जायेगा', उस प्राविधान के चलते हुए असरकारी सदस्यों के कार्य अनावश्यक रूप से लम्बित रह जाते थे, इसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

671

देखते हुए इसमें नियम समिति ने प्राविधान किया है कि 'प्रत्येक शुक्रवार को 3.00 बजे से कार्य समाप्ति तक असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा, अर्थात् अब कोई भी कार्य लम्बित नहीं रह पायेंगे।

श्रीमन् हम रोजमर्रा के कार्य में देखते हैं कि प्रश्नों की संख्या कम होती है और समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है, जैसे आज ही देखें तो सिर्फ 4 प्रश्न ही आये हैं, जबकि 20 तारांकित प्रश्नों की व्यवस्था नियमावली में है तो इसको देखते हुए एक व्यवस्था की गई कि कार्यसूची में 3 से अधिक तारांकित प्रश्न प्रत्येक सदस्य के रखे जा सकेंगे अर्थात् तीन प्रश्न सम्मिलित हो सकेंगे। जब उत्तर प्रदेश की कार्य संचालन नियमावली में मात्र एक प्रश्न रखने की व्यवस्था थी जिसके आधार पर प्रश्नों की संख्या कम हो जाती थी और फिर यह निर्णय सम्मानित सदन के सम्मुख है। श्रीमन्, एक और नियम का प्राविधान किया गया है जो कि ऐतिहासिक है, यह पूरे भारत वर्ष में कहीं भी नहीं है। श्रीमन्, आये दिन सदस्यों की पीड़ा रही है और उनके निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी है, तो इस बात को सदन के अन्दर नियमों के दायरे में नहीं कह पाते हैं, जिसके कारण व्यवधान की स्थिति आती है, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। श्रीमन्, नियमावली में नियम 310 (2) जोड़ा गया है जिसमें है कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से ऐसा प्रश्न उपस्थित कर सकेगा जो उसके साथ हुई तात्कालिक घटना से सम्बन्धित हो तथा नियम 65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न न हो।"

मान्यवर, यह नया नियम डाला है, यह पूरे भारत में अपने में एक नया नियम है। इससे माननीय सदस्यों को आसानी हो जायेगी। मान्यवर, इसे सम्मानित सदन अंगीकृत करेगा। इसका प्राविधान है कि विधायिका का सरकार के ऊपर नियंत्रण रह सके। इसलिए इसमें यह प्राविधान किया गया है। सम्मानित सदन में इस नियमावली के तहत विधान सभा अच्छी तरह काम करेगी। आपने मुझे इसके लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2005 को पारित किया गया था,

पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 06 अप्रैल, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का पन्द्रहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 अप्रैल, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 अप्रैल, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

दून विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि दून विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 23 अप्रैल, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 23 अप्रैल, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड़ के कोटधार से मुरोगी होते हुए खदाड़ा वनचौरा तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

*श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के कोटधार से मुरोगी होते हुए खदाड़ा वनचौरा तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती सत्येश्वरी एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा श्री महेन्द्र भट्ट का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद पिथौरागढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोगाँव के उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद पिथौरागढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोगाँव के उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में" श्री गणेश राम एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा श्रीमती आशा देवी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थीं।)

जनपद टिहरी गढ़वाल के मासरताल को पर्यटक स्थल घोषित करने तथा पर्यटक विश्रामगृह के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मासरताल को पर्यटक स्थल घोषित करने तथा पर्यटक विश्राम गृह के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री विशाल सिंह राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड़ के राजकीय जूनियर हाईस्कूल दिचली का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के राजकीय जूनियर हाई स्कूल दिचली का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती सुलोचना राणा एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 05–10–2005 की बैठक में दिनाक 05 अक्टूबर, 2005 से दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

अक्टूबर, 2005

05 बुधवार
(1) औपचारिक कार्य।
(2) अध्यादेशों का सदन के पटल पर रखा जाना।
(3) वित्तीय वर्ष 2005–2006 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण। (अपराह्न 4.00 बजे)।

06 गुरुवार
(1) अनुदानवार मांगों पर चर्चा एवं मतदान (आधा घंटा)।
(2) उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

(7 से 18 अक्टूबर को बैठक नहीं होगी।)

19 बुधवार विधायी कार्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

प्रदेश का नाम 'उत्तरांचल' के स्थान पर 'उत्तराखण्ड' किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती इंदिरा हृदयेश द्वारा प्रस्तुत संकल्प

(मद संख्या 35 पुकारे जाने पर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो गये और जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करती हूँ कि "चूंकि उत्तरांचल की आम जनता की यह धारणा है कि उत्तरांचल राज्य का नाम पौराणिक एवं ऐतिहासिक आधार पर उत्तराखण्ड किया जाना चाहिए,

और, चूंकि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में राज्य विधान मण्डल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किये जाने पर सांसद को इस विषय पर विधि बनाने की अधिकारिता है;

और, चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को इस विषय पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति है;

और, चूंकि राज्य का नाम "उत्तरांचल" के स्थान पर "उत्तराखण्ड" किए जाने हेतु उत्तरांचल विधान सभा में इस संकल्प को अंगीकृत किया जाना है;

अतएव, अब, यह विधान सभा "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) व (2) सपठित अनुच्छेद 3 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में आवश्यक संशोधन कर राज्य का नाम "उत्तरांचल" के स्थान पर "उत्तराखण्ड" किया जाये।"

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई)

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह बात हाँ या ना की नहीं है..........।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, हाँ का अर्थ हाँ ही होता है..........।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोश्यारी जी, कृपया संक्षेप में अपनी बात को कहें।

(घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि..........।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह जो राज्य बना है, वह अनेक संघर्षों के बाद बना है, इस राज्य को बनाने के लिए कई लोगों के अपने वायदे भी किये थे। यह राज्य तब बना जब केन्द्र और उत्तर प्रदेश में भाजपानीत सरकारें आईं।

(व्यवधान)

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले मुझे बोल लेने दें आपको आज्ञा मिलेगी तो आपको मैं भी सुनूंगा। मान्यवर, मंत्री जी ने अपने संकल्प में लिखा है कि चूंकि उत्तरांचल की आम जनता की यह धारणा है कि उत्तरांचल राज्य का नाम पौराणिक और ऐतिहासिक आधार पर उत्तराखण्ड किया जाय। इस राज्य को बनाने में सबका सहयोग होगा। जो लोग यहां पर बैठे हैं उनका तो सहयोग होगा ही और बाहर वालों का भी सहयोग रहा है। राज्य के नाम के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय दल था, जिसने राज्य बनने पर क्या नाम होना चाहिए इस पर विचार किया था। माननीय काशी सिंह जी भी अच्छी तरह जानते होंगे कि गुलाब को किसी भी नाम से पुकारा जाय वह सुगन्ध ही देता है और जो सुगन्ध नहीं देता है उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय वह सुगन्ध नहीं देगा। मैं नाम बदलने के लिए बहुत उद्वेलित नहीं हूं। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है ? राज्य की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने जब की तो उत्तरांचल की जनता का सहयोग इस पार्टी को मिला और 15 साल तक जनता पार्टी का साथ दिया। इसका नाम उत्तरांचल क्यों होना चाहिए इसकी भूमिका में जाना चाहूंगा। जो लोग इतिहास और पुराणों की बात कर रहे हैं या जिनको इतिहास की मर्मज्ञता है और जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है। इतिहास और पुराणों में उत्तराखण्ड का उल्लेख नहीं है। देखा जाय तो 100 साल से पीछे कहीं पर भी उत्तराखण्ड का नाम ही नहीं मिलेगा।

मान्यवर, हमारे यहां कोई भी पूजा करने से पहले संकल्प में कहा जाता है कि "जम्बूदीपे भारतखण्डे आर्यावर्ते हिमवत् पर्वतैक देशे" तो इस तरह से कहीं पर भी उत्तराखण्ड का उल्लेख नहीं होता है। मान्यवर, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कहीं पर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो बाद में बोल लीजिएगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। आप प्रदेश का नाम बदल रहे हैं लेकिन बदले की भावना से। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरांचल नाम दिया है और आज हमारा राज है इसलिए हमें इसका नाम बदलना चाहिए, यह सोच गलत है। (व्यवधान) मान्यवर, केन्द्र के अन्दर जिस समय उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव पास हो रहा था, उस समय मैं भी सदन की लॉबी में मौजूद था। वहां पर भी कांग्रेस की ओर से इस बात पर जोर नहीं दिया गया कि इसका नाम उत्तराखण्ड होना चाहिए। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरांचल राज्य बनाया। लेकिन मैं कहने में संकोच नहीं करता कि उत्तरांचल राज्य बनाने में कांग्रेस ने भी पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस के सहयोग के बिना उत्तरांचल राज्य नहीं बन सकता था। उस समय माननीय तिवारी जी भी सदन में मौजूद थे लेकिन उत्तराखण्ड नाम रखने पर कोई जोर नहीं दिया गया। आप इतिहास उठा कर देख लीजिए कहीं पर भी उत्तराखण्ड नाम नहीं है।

उत्तराखण्ड नाम की शुरूआत कहां से हुई। इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि 24 फरवरी, 1960 को सबसे पहले कमिश्नरी बनी। उसके बाद जो कमिश्नरी बनी उसमें पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी को शामिल किया गया और इसका नाम उत्तराखण्ड कमिश्नरी रखा गया। उस समय यहां पर दूसरी कमिश्नरी कुमाऊं कमिश्नरी थी। 1968 में कुमाऊं कमिश्नरी कुमाऊं और गढ़वाल में बंट गयी। उस समय केवल तीन जिलों को मिला कर उत्तराखण्ड कहा जाता था। आज भी सिलिगुड़ी आदि में उत्तराखण्ड

नाम से आन्दोलन चलता है। स्वर्गीय इन्द्रमणि बडोनी जी ने उत्तराखण्ड आन्दोलन की शुरूआत की थी। इनके द्वारा 1972 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गयी थी। श्री हरीश चन्द्र ढौंडियाल जी ने नैनीताल में एक पुस्तिका का विमोचन किया था 'उत्तरांचल प्रदेश क्यों और कैसे'। मान्यवर, मैं इतिहास बता रहा हूँ। उत्तराखण्ड क्रान्ति दल जिसने उत्तराखण्ड राज्य की आवाज लगायी। 1979 में जाकर उत्तराखण्ड की बात आयी और उत्तराखण्ड नाम उनके द्वारा प्रचलित किया गया। जो हमारा ऐतिहासिक परिवेश है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं पूरा इतिहास नहीं बता रहा क्योंकि इसमें काफी समय लग जाएगा। मेरे पास इतिहास की पुस्तकें हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूँ। अतीत में इसे मानस खण्ड और केदारखण्ड कहा जाता था। इसका नाम उत्तरापथ भी कहा गया लेकिन उत्तराखण्ड नाम कहीं पर भी नहीं था। मान्यवर, यहां पर फाहियान और फरिस्ता आए, लेकिन उन लोगों ने भी कहीं पर इसका नाम उत्तराखण्ड नहीं लिखा। सांस्कृतिक रूप से हम उत्तराखण्ड नाम ले सकते हैं लेकिन राजनैतिक रूप से इसे उत्तराखण्ड नहीं कह सकते। सांस्कृतिक रूप से तो हम भारतवर्ष को आर्यावर्त भी कहते हैं। चूँकि यह उत्तर का भाग है और इसके नीचे मैदानी भाग है। यह निर्णय हुआ था कि पूर्वांचल का 'अंचल' और 'उत्तर' लेकर इसका नाम ''उत्तरांचल'' रखा जाय। 1991 से लेकर आज तक इस उत्तरांचल के नाम पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है।

मान्यवर, मेरा सरकार से अनुरोध है कि नाम बदलने से करोड़ का खर्चा आयेगा। सारे बोर्डों पर लिखा हुआ बदलना पड़ेगा। क्या नाम बदल देने से लोगों का दिल बदल जायेगा। भ्रष्टाचार में कमी आ जायेगी या फिर लाल बत्तियों का असर कम हो जायेगा। या फिर नाम बदल देने से अधिकारी मंत्री की बातों पर अमल करना शुरू कर देंगे। मंत्री भी कहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं और जिस प्रकार से मुख्य सचिव को पत्र लिखना पड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्रों का जवाब दिया जाए उनके आदेशों को अमल में लाया जाए। यह पहला प्रदेश है जहाँ पर मुख्य सचिव को अपने मातहतों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्रों का जवाब देने के लिए लिखना पड़ा कि सभी उच्चाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रश्नों का जवाब दें। नाम बदलने से क्या सरकार का करैक्टर बदल जायेगा। अगर बदल जाता है तो फिर नाम बदलने पर मुझे कोई एतराज नहीं है ? मान्यवर, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ज्यों ही नाम बदलेगा और भी गड़बड़ शुरू हो जायेगी। यह सरकार का विशुद्ध रूप से राजनीतिक स्टंट है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने यह राज्य बनाया इसलिए हम इसका नाम बदलेंगे तो जनता में एक नई सोच जायेगी। सरकार मात्र जनता को गुमराह कर रही है। सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो चुकी है। अब जनता के सामने क्या मुँह लेकर जाएं तो सरकार ने नाम बदलने का विचार कर लिया। नाम बदलने से माननीय ऐरी जी खुश होंगे कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखण्ड कर दिया जायेगा यह उनका और उनकी पार्टी का स्वप्न भी था। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि उत्तरांचल अर्थात् उत्तर का आंचल साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी इतना सुन्दर नाम है। इसका नाम बदलना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं उत्तरांचल का नाम उत्तराखण्ड रखे जाने का पुरजोर विरोध करता हूँ।

*काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, आज सरकार नाम बदलने का प्रस्ताव कर रही है। माननीय कोश्यारी जी ने बहुत सी हिस्टोरिकल बातों का जिक्र किया। जितना भी उत्तराखण्ड आंदोलन चला और अलग राज्य बनाने की मांग हुई उसमें कहीं भी हरिद्वार और मैदान का इलाका शामिल नहीं था। उत्तर प्रदेश विधान सभा में कई बार सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करके भेजा गया कि उत्तराखण्ड राज्य बना दिया जाए। उस प्रस्ताव में कभी भी मैदानी इलाकों को शामिल नहीं किया गया था और शायद ऊधमसिंह नगर भी नहीं था। (व्यवधान) मान्यवर, उत्तरांचल राज्य बन रहा था तो हरिद्वार वासियों ने बहुत विरोध किया क्योंकि उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ उत्तरांचल राज्य से नहीं मिलती हैं। लेकिन केन्द्र सरकार की ऐसी मंशा थी इसलिए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हरिद्वार को उत्तरांचल राज्य का हिस्सा मान लिया जाए। मान्यवर, हरिद्वार में इसका बहुत विरोध हुआ। मैं समझता हूँ कि आज भी एक तबका वहाँ ऐसा है वह अपने आपको उत्तरांचल का हिस्सा नहीं मानता है। मान्यवर, आपको यह आये दिन देखने को भी मिलेगा, लोक सभा में भी जवाब दिया गया।

मान्यवर, उत्तरांचल या उत्तराखण्ड से हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोग अब धीरे–धीरे भूलने लग गये थे, परन्तु अब यह सरकार लोगों का गला घोटने के नाम पर यह नाम ले रही है। सरकार के मंत्रियों में कोई तालमेल नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर भी यह सरकार नाकाम रही है, ऊर्जा प्रदेश का नारा दिया गया था, परन्तु यहां पर भी यह सरकार नाकाम रही है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। मान्यवर, जहां तक कोटद्वार विधान सभा की जीत का सवाल है तो यह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति सहानुभूति थी, न कि जनता सरकार के काम से खुश थी। उत्तरांचल के मासूम लोगों का एक सपना था। मान्यवर, इस सरकार से आम जनता का विश्वास उठ चुका है। अब यह सरकार नाम परिवर्तन का मुखौटा लेकर जनता को इमोशनल करना चाहती है।

*श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तराखण्ड नाम 1963 से चला आ रहा है। महापुराणों में 05 खण्ड हैं इनमें केदारनाथ खण्ड है और केदारनाथ खण्ड में उत्तराखण्ड नाम है यह इसका प्रमाण है। 18 पुराणों में इसका जिक्र है। मान्यवर, जब भगवान शिव शंकर उत्तराखण्ड आये तो प्रथम पड़ाव उन्होंने हरिद्वार में किया था, उस समय 09 मील पर एक चट्टी होती थी। इसमें पहाड़ी और मैदानी में भेद की कोई बात नहीं है। मान्यवर, मेरा सभी दलों से अनुरोध है कि यदि सड़कें बनेंगी तो उस पर सभी लोग चलेंगे, यह व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए नहीं बनायी गयी हैं। (व्यवधान) मान्यवर, पांच अंचल हैं और उत्तरांचल नाम तो कश्मीर से लेकर हिमांचल तक आता है तो इसमें आप उत्तरांचल किसे कहेंगे ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब को तो हमेशा अवसर दिया जाता है। सत्तापक्ष को कभी–कभी समय मिलता है। कृपया ध्यान से सुनें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का अंतरर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, इस राज्य के प्रणेता स्वर्गीय श्री इन्द्रमणि बडोनी जी और जो राज्य आंदोलन में 44 शहीद हुए, चाहे वह खटीमा, मसूरी, ... मान्यवर, हमारे रामपुर तिराहे के शहीद रहे हों, श्रीयंत्र टापू के शहीद रहे हों, इस नाम परिवर्तन से निश्चित रूप से उनकी आत्मा को शान्ति मिलेगी, यह मेरा अनुरोध है।

मान्यवर, हमारे माननीय नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उन्होंने बहुत सी बातें यहाँ पर रखी हैं और मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब संसद में लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तो हमारे आंदोलन के जो साथी थे और हम लोग भी वहाँ पर स्पीकर लॉबी में बैठे थे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात नहीं रखी। मान्यवर, हमारे मित्र श्री जय प्रकाश अग्रवाल और स्वर्गीय श्री जितेन्द्र प्रसाद जी ने इस बात को रखा और कहा कि यह बात कैसे आ गई, हमारे सभी साथियों ने उत्तराखण्ड के नाम पर आंदोलन किया, हमारे माननीय श्री काशी सिंह ऐरी जी ने भी इसी नाम से आंदोलन किया। कहीं श्री काशी सिंह ऐरी जी को उत्तराखण्ड नाम का लाभ न मिल जाए इसलिए इसका नाम उत्तरांचल रखा। आपने झारखण्ड, छत्तीसगढ़ का नाम नहीं बदला और इसका नाम क्यों बदला। मान्यवर, हमने तो कोटद्वार में दिखा दिया। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, बार–बार कोटद्वार क्यों बोल रहे हैं ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, अभी हमारे भाई हरिद्वार में कुम्भ क्षेत्र के बारे में कह रहे थे, हमने कुम्भ क्षेत्र की मांग की और मैं भारतीय संसद का आभारी हूँ। पहली शहादत खटीमा में हुई थी इसे श्री गोपाल सिंह राणा जी जानते होंगे। मैं सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी अब आप बोलें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रस्ताव को एक मत होकर सर्वसम्मति से स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी कृपया संक्षेप में कहें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, शुरू में जब उत्तरांचल की उत्तर प्रदेश से अलग होने की बात चल रही थी तो उस समय सर्वविदित था कि ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार उत्तरांचल में शामिल होने का विरोध कर रहे थे, उस समय के नेताओं ने ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जैसे क्षेत्र में आकर यह बात कही थी कि यह एक ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र तो है ही, लेकिन इसके साथ–साथ मैदानी आंचल जुड़ा रहेगा, इस आंचल को मानकर उत्तराखण्ड की जगह उत्तरांचल नाम दिया गया। मान्यवर, आज बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस समय की राजनीति ने जो बातें रखी और आज राजनीति उससे भाग रही है। इस तरह से राजनीति अगर भागती रही तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि यह सरकार जो लकीर खींचना चाह रही है वह इनको डस जायेगी। मान्यवर, बच्चा जन्म लेता है और उसके नाम से राशि बदल जाती है। इससे भी कांग्रेस की राशि बदल जायेगी और इससे इनका पत्ता साफ हो जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मेरी अपेक्षा थी और अभी अपेक्षा है कि जिस तरह छिद्रान्वेषण दोनों ओर बैठे हमारे साथी कर रहे हैं। इस राज्य के नाम को परिवर्तन करने का प्रस्ताव सरकार लायी है। इसको सब अलग–अलग एंगिल से देख रहे हैं। मैं ज्यादा बात इस सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह विषय महत्वपूर्ण है, इस पर एकेडमिक स्तर की बहस होनी चाहिए और तथ्यों को रखा जाना चाहिए। सरकार का संकल्प है इसके पीछे उसकी क्या मंशा है, इसका नाम उत्तरांचल भारतीय जनता पार्टी ने रखा इसके पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी यह बात आती तो अच्छा होता और देश और प्रदेश के लोगों को इसकी जानकारी मिलती। माननीय कोश्यारी जी को याद दिलाना चाहूँगा, माननीय चीमा जी ने जो तर्क दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार को दृष्टिगत रखते हुए इसका नाम उत्तरांचल रखा। मान्यवर, यह तथ्य से परे है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 198

तक भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की समर्थक नहीं थी। 1989 में भारतीय जनता पार्टी का आगरा में सम्मेलन होने जा रहा था, स्वर्गीय जीना जी इसके बड़े प्रबल समर्थक थे। माननीय अडवाणी जी अल्मोड़ा आये थे और जीना जी ने पहली बार उत्तरांचल नाम का समर्थन किया तब इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। जब आगरा सम्मेलन होना था तो उस समय माननीय कल्याण सिंह जी इसके अध्यक्ष थे वह उत्तरांचल और उत्तराखण्ड सम्बन्धी मूलभूत आंकड़े अपनी राष्ट्रीय कार्यकारणी में रखना चाहते थे, वह सारी जानकारी माननीय कल्याण सिंह जी ने मुझसे ली और मैंने सारी जानकारी माननीय कल्याण सिंह जी को मुहैया करायी। उत्तराखण्ड की जगह उत्तरांचल नाम आपने रखा इसके पीछे आपकी क्या मंशा रही होगी यह आप अच्छी तरह जानते हैं। मान्यवर, माननीय उपाध्याय जी ने भी कहा है। यह सर्वत्र सत्य है। जिसके बारे में भगत दा ने भी कहा है कि उत्तराखण्ड शब्द कहीं नहीं है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल शब्द कहां है ? किस पुराण में है, वेद में है, इतिहास की किस पुस्तक में है, राजस्व के किस लेखे-जोखे में है और किस लोकोक्ति में है। आप एक भी उदाहरण दे दें।

मान्यवर, झारखण्ड की जगह आपने वनांचल प्रचारित किया था। झारखण्ड तो वनांचल नहीं बन पाया लेकिन, उत्तराखण्ड उत्तरांचल बन गया। इसे लेकर पूरे जनमानस ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मान्यवर, यह हमारी पहचान का सवाल है। मेरा नाम काशी सिंह ऐरी है। कोई मुझे किसी दूसरे नाम से पुकारे तो मुझे कैसा लगेगा। मान्यवर, उत्तराखण्ड केवल एक शब्द नहीं है। माननीय अटल बिहारी बाजपेई जी नैनीताल आये थे। वहां पर जब यह मामला सामने आया तो माननीय अटल बिहारी बाजपेई जी ने साफ-साफ कहा था मुझे दोनों ही नामों पर कोई आपत्ति नहीं है। अभी-अभी उमा भारती जी केदारनाथ आयी थीं। एक-डेढ़ महीने पहले उनका साक्षात्कार मैंने सुना था। जब उनसे पूछा गया कि आप केदारनाथ क्यों आती हैं तो उन्होंने हर बार उत्तराखण्ड शब्द का ही प्रयोग किया। वे प्रदेश का नाम उत्तराखण्ड ही ले रही थीं। मान्यवर, जो आन्दोलन हुआ, जो शहादतें हुई, जिसका जिक्र माननीय उपाध्याय जी ने भी किया है। मान्यवर, जब से राज्य की अवधारणा सामने आयी थी तब से इसे उत्तराखण्ड नाम से ही जाना जाता है। इसी नाम को लेकर अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गयी थी। पहले तीन जिलों को लेकर जो कमिश्नरी बनायी गयी थी तो वह उत्तराखण्ड नाम से ही क्यों, उत्तरांचल नाम से क्यों नहीं बनायी गयी थी।

मान्यवर, आपने संकल्प की बात कही है। मैंने भी कई बार संकल्पों में यह सुना है कि "विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री ब्रह्मपुराण पुरूषोत्तमायः, अर्थ पृथ्व्याम् जम्बूदेवे उत्तराखण्डे आर्यवर्ते .... (व्यवधान) मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है कि श्लोक में क्या है यह मुझे नहीं पता है, लेकिन, उत्तरांचल शब्द कहीं पर भी नहीं है, किसी भी अनुष्ठान में नहीं है। मान्यवर, पूर्व में जब उत्तरांचल नाम से विधेयक पारित हुआ था। हमारे नेता सदन अभी यहां पर नहीं हैं मैंने उनसे भी कहा था कि आपने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की

थी यह क्या राज्य हमें दिया गया है तो उन्होंने बताया कि हमने राज्य के नाम पर आपत्ति की थी और संशोधन भी रखा था और दूसरी चीजों में संशोधन नहीं रख सकते थे कुछ और संवैधानिक चीजें थी। तो जब यह प्रस्ताव लोक सभा में आया था तो माननीय तिवारी जी और जितेन्द्र प्रसाद जी ने वहां पर कहा था कि इस राज्य का नाम उत्तराखण्ड होना चाहिए। और जो पिछला चुनाव यहां पर था उसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि प्रदेश का नाम उत्तराखण्ड किया जायेगा। कांग्रेस इस संकल्प को आज यहां पर लाई है जबकि इसे सरकार को अपने सबसे पहले सत्र में ही लाना चाहिए था और राज्य का नाम बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए था। कांग्रेस बहुत देर में इस संकल्प को लाई है, इसके क्या कारण हैं इसमें लोगों के अपने-अपने मत हो सकते हैं.....।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में इसका उल्लेख पहले ही किया गया है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जिस ढंग से हमारे प्रदेश की सरकार इस संकल्प को लाई है, मैं कहना चाहता हूँ कि इस संकल्प को पहले ही लाकर पारित करा देना चाहिए था। मैंने माननीया उमा भारती जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उद्धरण दिया है उसको देखते हुये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कराना चाहिए। क्योंकि यह नाम हमारी पहचान, हमारी अस्मिता से जुड़ा है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई आन्दोलन उत्तरांचल की जनता ने ऐसा किया जिसमें राज्य का नाम बदलने की मांग की गई हो ? क्या कोई ऐसी आवाज उठी ?.........

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, कोई जनांदोलन नहीं हुआ (व्यवधान)

आप लोग शोर न करें, मुझे बोलने दें, प्लीज। हमारा यह कहना है कि उत्तरांचल की जनता ने कभी भी उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखण्ड करने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया है। सरकार ने संकल्प में उल्लेख किया है कि जनता की धारणा है, मान्यवर, यह जनता की नहीं बल्कि कांग्रेस की धारणा है। एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जब यह प्रस्ताव लोक सभा में आया था तो इसके नाम के लिए वहां पर 7 घंटे चर्चा हुई थी और वहां पर भी कहीं भी उत्तराखण्ड का जिक्र नहीं आया था।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, वहां पर उस दिन मैं भी उपस्थित था वहां पर मात्र आधे घंटे की चर्चा हुई थी, नेता प्रतिपक्ष गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस प्रस्ताव पर लोक सभा में 7 घंटे चर्चा हुई है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं वहां स्पीकर लॉबी में था वहां पर सिर्फ आधा घंटा चर्चा हुई थी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, किशोर जी जो बोल रहे हैं ....।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं स्वयं वहां पर था मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम लोग भी वहां पर थे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय उनियाल जी कृपया शांत रहें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह तो हंसी मजाक में चर्चा को ले जा रहे हैं। ....

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, उत्तरांचल की धरती वीरों की धरती है, मान्यवर, उत्तरांचल की गढ़वाल राईफल्स और कुमाऊँ रेजीमेंट बहुत प्रसिद्ध हैं। जब–जब भारत की सीमाओं पर संकट आया है, गढ़वाल राईफल्स और कुमाऊँ रेजीमेंट के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा कर भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। यह राष्ट्रीयता की भावना है यह वीरों की भूमि है और राष्ट्रीयता की भावना को देखते हुए ही इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। उत्तरांचल नाम में राष्ट्रीयता का भाव आता है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, लगता है सत्ता पक्ष को अपने ऊपर घमण्ड हो गया है। मैं नहीं समझता कि यह हंसी मजाक का विषय है लेकिन आप लोगों ने हंसी मजाक का माहौल बना कर रख दिया है। ऐसा तो किसी पंचायत की बैठक में भी नहीं होता होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। आप बहुमत में हैं इसलिए प्रस्ताव पास कर लेंगे। लेकिन ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आज उत्तरांचल राज्य विकास के लिए तड़प रहा है। आज यह उत्तरांचल राज्य सुव्यवस्था के लिए तड़प रहा है। आज उत्तरांचल राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गयी है। आज उत्तरांचल की जनता राज्य का नाम नहीं बदलना चाहती है। वह चाहती है कि यहां पर विकास कार्य हों और लोगों को रोजगार मिले। मान्यवर, मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, बार–बार कोटद्वार का नाम आ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह जीत सुरेन्द्र सिंह नेगी की जीत है, कांग्रेस की जीत नहीं है।

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि कोटद्वार में एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें लिखा था पहले जीते कोर्ट से, अब जीतेंगे वोट से। मेरे मन में आया कि इसमें लिखा जाय पहले भी जीते वोट से अब भी जीतेंगे वोट से। मान्यवर, कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, वे सदन के सदस्य नहीं हैं, ने कहा 'अब उल्टी गिनती शुरू हो गयी है और यहीं से इतिहास रचा जाएगा।' अब कह रहे हैं कि हमने कहा ही नहीं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि उत्तरांचल नाम में राष्ट्रीयता का भाव आता है और उत्तराखण्ड नाम में [अलगाव की बू] आती है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष [अलगाव की बू] की बात कह रहे हैं। यह आपत्तिजनक है। मेरा अनुरोध है कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं सरकार को एक राय देना चाहता हूँ कि वह नाम बदलने के चक्कर में न पड़े बल्कि उत्तरांचल का विकास करे तो शायद उत्तरांचल की जनता का हित होगा। मान्यवर, बच्चे सड़क में नारा लगा रहे थे "कांग्रेस ने हमको लूटा खूब, उत्तरांचल हमारा नाम खूब।" शायद बच्चों को पता लग गया कि नाम बदलने वाला है।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह संकल्प जनभावनाओं के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है। इससे पूर्व श्री राज्यपाल के अभिभाषण में भी (शोर)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रकाश पंत, श्री मदन कौशिक और श्री गोविन्द लाल शाह को छोड़कर सभी माननीय सदस्य और बसेपा के माननीय सदस्य सदन छोड़कर चले गये।)

मान्यवर, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। जनता की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए यह संकल्प लाया गया। हमें जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। हमने जब अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था तो हमने जनता से यह वादा किया था कि यदि हम सत्ता में आयेंगे तो इसका नाम उत्तराखण्ड करेंगे। हमें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पूर्व राज्य के अभिभाषण में इसका उल्लेख था और धन्यवाद का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भी हुआ था। हम इसे आज संकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इसे पारित कर केन्द्र सरकार को भेजेंगे। इत्तेफाक से इस वक्त केन्द्र में हमारी सरकार है, यू0पी0ए0 की सरकार है। हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर इसका नाम परिवर्तन करने के लिए केन्द्र सरकार को भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "चूँकि उत्तरांचल की आम जनता की यह धारणा है कि उत्तरांचल राज्य का नाम पौराणिक एवं ऐतिहासिक आधार पर उत्तराखण्ड किया जाना चाहिए।

और, चूँकि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में राज्य विधान मण्डल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किये जाने पर संसद को इस विषय पर विधि बनाने की अधिकारिता है।

और, चूंकि राज्य का नाम उत्तरांचल के स्थान पर "उत्तराखण्ड" किये जाने हेतु उत्तरांचल विधान सभा में इस संकल्प को अंगीकृत किया जाना है।

अतएव अब, यह विधान सभा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) व (2) सपठित अनुच्छेद 3 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में आवश्यक संशोधन कर राज्य का नाम उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड किया जाए को स्वीकार किया जाए।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत समन्वय समिति में विधानसभा सदस्यों को नामित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, "मैं यह प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के संगत नियमों के अधीन निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन "समन्वय समिति" में दो सदस्य विधान सभा से निर्वाचित किये जाने का प्राविधान है। उक्त समिति में कार्य करने के लिए दो विधान सभा सदस्यों को निर्वाचित किये जाने हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के संगत नियमों के अधीन निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1958 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के संगत नियमों के अधीन निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन "समन्वय समिति" में दो सदस्य विधान सभा से निर्वाचित किये जाने का प्राविधान है। उक्त समिति में कार्य करने के लिए दो विधान सभा सदस्यों को निर्वाचित किये जाने हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अपराह्न 3:00 (तीन) बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3:00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत श्री प्रकाश पंत, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री अनिल नौटियाल, श्री गोबिन्द लाल तथा श्रीमती आशा देवी, श्री हरबंस कपूर, श्री प्रेमानन्द महाजन, काजी निजामुद्दीन तथा मो0 सहजाद, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी एवं श्री मदन कौशिक जी की कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इनमें से मैं श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री अनिल नौटियाल, श्री गोविन्द लाल तथा श्रीमती आशा देवी एवं काजी निजामुद्दीन तथा श्री सहजाद की सूचनाओं को नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारी सूचना नहीं ली।

श्री अध्यक्ष–

इसके अतिरिक्त नियम 311 के अन्तर्गत मा0 सदस्यगण श्री अजय भट्ट, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत तथा श्री अनिल नौटियाल और श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचनाएं जो मुजफ्फरनगर काण्ड से सम्बन्धित हैं को भी मैं नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जो सूचना मैंने नियम 56 के अन्तर्गत दी है वह बहुत ही गम्भीर है और मैं समझता हूँ कि यह अच्छी बात है कि आज तक ऐसा प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन हम सोचते थे कि जैसे–जैसे सरकार मेच्योर हो रही है तो उसको और बढ़िया काम करना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। मान्यवर, पहले भी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर इस सम्मानित सदन में बहुत चिन्ताएं व्यक्त की गई हैं, अभी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि सरकार कानून व्यवस्था को सुधारे। मान्यवर, पहले से कानून व्यवस्था की स्थिति इस प्रदेश में खराब चल रही है। हत्याएं, डकैती, बलात्कार जैसी बड़ी–बड़ी घटनायें इस प्रदेश में हो रही हैं और सरकार की अथॉरिटी को अपराधी हर बार चुनौती दे रहे हैं और सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ होकर देखती रही, यह निराशाजनक है। मान्यवर, 27 सितम्बर की रात को फिल्मी अंदाज में ऊधमसिंह नगर की पुलिस रुद्रपुर में आयी और सण्डे पोस्ट समाचार पत्र के संवाददाता को पुलिस ने उसके घर से जबरन उठाकर जीप में रखा, घर के लोगों ने विरोध किया तो उनको

डराया, धमकाया और प्रताड़ित किया और उनकी माताश्री के सीने पर बन्दूक की बट रख दी और इतना बड़ा दुस्साहस वहाँ की पुलिस ने किया और सण्डे पोस्ट के संवाददाता के साथ यह हुआ। मान्यवर, मैंने गम्भीर इसलिए कहा कि आम आदमी की हालत खराब रहती है, लेकिन आज पत्रकार भी महफूज नहीं है। मान्यवर, उसे पहले पुलिस अपनी जीप में बैठा कर ले गयी और जिस गाड़ी में बदमाश बैठे थे उस गाड़ी में डालकर भागने के लिए कहा गया। मान्यवर, इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि पुलिस उनका इनकाउन्टर करना चाह रही थी। इसमें समाचार पत्र के वरिष्ठ लोगों द्वारा हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा और किसी तरह उनकी जान बच गई।

मान्यवर, पत्रकार का आरोप है कि पुलिस उनको बदमाशों के साथ मिलकर बदमाश घोषित करने और माओवादी घोषित करना चाह रही थी। जो माओवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हें सरकार माओवादी घोषित करने की कोशिश कर रही है। माओवाद के कई सिद्धान्त हैं और जो उनका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं सरकार उन पर अंकुश लगाना चाह रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार वहाँ पर रोजगार बढ़ाने के बजाय, वहाँ पर विकास कार्य करने के बजाय उनको माओवादी घोषित करने की कोशिश कर रही है। मान्यवर, इससे बड़ा गम्भीर और इससे ज्यादा चिन्तनीय विषय इस प्रदेश के लिए क्या हो सकता है। मान्यवर, इस सम्पूर्ण घटनाक्रम की उच्चस्तरीय जाँच करनी चाहिए। जो भी पुलिस कर्मी दोषी हैं और इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई करने की माँग करता हूँ। और सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे ....

श्री अध्यक्ष–

श्री भट्ट जी आपकी सूचना इस पर नहीं है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर की जानकारी है कि वहाँ पर माओवादी गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। पुलिस को माओवादी गतिविधि में स्थानीय लोगों की संलिप्तता तथा सी0पी0आई0 (माओईस्ट) के संगठन द्वारा किसी बड़ी घटना को अन्जाम देने की सूचना प्राप्त हुई थी, तथा यह भी सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद के गदरपुर तथा दिनेशपुर क्षेत्र में सी0पी0आई0 (माओईस्ट) के पी0एल0जी0ए0 (लोक जनमुक्ति गुरिल्ला वाहिनी) के प्रमुख अनिल चौड़कोटी तथा उनके साथी प्रताप मास्टर के घर पर हैं। इस सूचना पर जनपद ऊधमसिंह नगर में दिनांक 27-9-2005 को दिनेशपुर व गदरपुर क्षेत्र में पुलिस द्वारा कई स्थानों पर छानबीन की गई जिसमें श्री प्रताप मास्टर के दिनेशपुर आवास में पुलिस द्वारा माओवादी की उपस्थिति को सत्यापित

करने का प्रयास किया गया। उस समय श्री प्रताप मास्टर घर पर नहीं मिले। अतः पुलिस द्वारा उनके घर पर मौजूद श्री प्रताप मास्टर के पुत्र श्री रूपेश कुमार से केवल पूछताछ ही की गई थी। वह जिले से प्रकाशित होने साप्ताहिक समाचार पत्र के पत्रकार भी थे। उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। मान्यवर, सम्बन्धित समाचार पत्र के सम्पादक ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वयं मुझे तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी पत्र लिखा और उन्होंने मांग की कि इसकी जांच करायी जाये। तो मान्यवर, यह चूंकि पुलिस का कार्य है माओवाद के चलते आये दिन गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस जिसे गिरफ्तार करने जाती है वह नहीं मिलता है। हमने उनसे कह दिया कि इसकी जांच कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने आयुक्त कुमाऊँ मण्डल को इसकी जांच के लिए आदेश दे दिये हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काशी सिंह ऐरी जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति हमारे उत्तरांचल में अपने धार्मिक कार्यों के लिए सुप्रसिद्ध है। मान्यवर, बड़े दुख की बात है कि विधानसभा के सामने अखिल भारतवर्ष तीर्थ रक्षा सम्मान समिति के सदस्य दो दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, वे कई दिनों से धरने पर भी बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करायी जाये, मगर शासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यह समिति यह मांग करती है कि मंदिर समिति के खाते से एक लाख अस्सी हजार का किसने आहरण किया ? दूसरा– पूजा और प्रसाद की सामग्री बम्बई से खरीदी जा रही है, यह किस कम्पनी से खरीदी जा रही है ? यह निम्न कोटि की सामग्री है। मंदिर समिति के खाते से टी०ए० और डी०ए० के मद में वर्ष 2002–03 में लगभग 32 लाख 44 हजार रुपये खर्च किये गये। वर्ष 2004–05 में लगभग 30 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। इनका आरोप है कि बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है। इस पर भी वह जांच चाहते हैं। इसके साथ–साथ आरोप है कि अवैध नियुक्तियां हो गयी हैं। इसमें धन बटोरा गया है। इसके साथ–साथ इस समिति का आरोप है कि ऋषिकेश में मंदिर समिति का कार्यालय होने के बाद भी देहरादून में इसका कार्यालय खोला जा रहा है। समिति का कहना है कि इस कार्यालय को खोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अच्छा होता कि ऋषिकेश में जो उनकी धर्मशाला है, वहीं पर कार्यालय खोला जाये। बद्री–केदारनाथ समिति में अनावश्यक खर्च बढ़ा है। धर्मशालाओं के पुनर्निर्माण के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला हुआ है। इसके साथ–साथ चढ़ावे में भी हेरा–फेरी होती है। मान्यवर, अनूप जलोटा के एक कार्यक्रम का खर्च ओ०एन०जी०सी० द्वारा वहन किया गया था। कार्यक्रम अनूप जलोटा ने किया और खर्चा ओ०एन०जी०सी० ने किया इसके बावजूद भी मंदिर समिति के खाते से धनराशि

निकाली गयी। यह धनराशि किसने निकाली, कौन इसके लिए दोषी है ? इसके लिए भी यह समिति जांच की मांग करती है। मान्यवर, बद्री–केदारनाथ मंदिर समिति में 5 बार मुख्य कार्याधिकारी बदले गये हैं, क्यों बदले गये हैं यह भी जांच का विषय है। लाखों रुपया दिल्ली और बम्बई की यात्रा में खर्च किया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? यह तथ्य तो मुझे जो हमारे भाई अखिल भारतवर्ष तीर्थ रक्षा सम्मान समिति के सदस्य बैठे हैं उन्होंने दिये। मगर मैं कुछ और तथ्य भी आपके सामने रख रहा हूँ।

इस समिति के गठन में उत्तर प्रदेश संयुक्त बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम, 1939 के संशोधन 2002 मूल अध्यादेश की धारा 5 के अन्तर्गत इसमें 3 सदस्य विधान सभा के होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में इसमें विधान सभा के 2 सदस्य तथा विधान परिषद् के 1 सदस्य होते थे। चूंकि यहां पर परिषद् नहीं है तो विधान सभा के ही माननीय सदस्य उसमें होने चाहिए, लेकिन इसमें माननीय विधायकों को नहीं रखा गया है। इसके लिए कौन दोषी है ? इसके साथ ही साथ यह भी कर दिया गया था कि कुछ अधिकारी रखे जायेंगे, लेकिन अधिकारी भी समिति में नहीं रखे गये। अर्थात् समिति का गठन नियमित रूप से नहीं हुआ है। माननीय विधायकगण वहां पर अंकुश रख सकते थे। रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और चमोली जिलों के विधायकों को इसमें रखना चाहिए था, इस प्रकार से समिति का गठन नियमित रूप से नहीं हुआ है। दूसरा प्रकरण इसमें जो आयुर्वेदिक विद्यापीठ है उसके द्वारा हवन सामग्री बनाई जाती है जो कि पॉलीथीन के थैलों में पैक की जाती है और उस पर भगवान बद्रीनाथ की फोटो छापी जाती है लेकिन उपयोग करने के बाद इस थैली को कूड़े में फेंक दिया जाता है जो कि भगवान बद्रीनाथ का अपमान है, अवहेलना है। भगवान की फोटो को छापकर उसे कूड़े में नहीं डालना चाहिए यह नियमानुसार नहीं है।

एक प्रकरण और सामने आया मान्यवर, कि एक धीरू भाई अंबानी ट्रस्ट है, इसको 20 नाली जमीन आवंटित कर दी गई जिस पर उन्होंने विशाल टिन शेड का निर्माण किया हैं। यह जमीन किसने आवंटित की ? जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है उसमें जो माननीय सदस्य हैं उनकी स्वीकृति नहीं ली गई, जो मुख्य कार्याधिकारी थे उनकी स्वीकृति नहीं ली गई, शासन की स्वीकृति नहीं ली गई। जिस रूप से यह भूमि दी गई है उसे नहीं दिया जाना चाहिए था। वह भूमि न तो किसी प्रकार के शुल्क लेकर दी गई है। धनाढ्य व्यक्तियों को यह भूमि दी गई है। इस प्रकार से यह तीन बिन्दु हैं मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सदन की शेष कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाय। जो हमारे अखिल भारतीय तीर्थस्थल रक्षा समिति ने रखे हैं, इन सबमें जांच कराई जानी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जहां तक धार्मिक स्थलों की बात है तो उन पर शासन सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है, जब तक कोई विशेष संदर्भ न हो। समिति के पूर्व मुख्य कार्याधिकारी

श्री इंद्रजीत मल्होत्रा से प्राप्त संदर्भों और विभिन्न समाचार पत्रों से जब समिति की अनियमितता की बात सामने आई। पूर्व मुख्य कार्याधिकारी श्री मल्होत्रा ने शासन को लिखा और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से यह प्रकरण आया। मान्यवर, मन्दिर समिति के पूर्व मुख्य कार्याधिकारी श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण चमोली के सी0डी0ओ0 श्री शैलेश बगौली को अंतरिम मुख्य कार्याधिकारी शासन द्वारा नियुक्त किया गया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जितनी अनियमितताओं का उल्लेख किया है, उन सबको संदर्भित करते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अंतरिम मुख्य कार्याधिकारी को मुख्य कार्याधिकारी के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। मान्यवर, मंदिर समिति को निर्देशित किया गया है कि वह कोई महत्वपूर्ण निर्णय न ले और न ही कोई नई पहल करे। मंदिर समिति को यह भी निर्देशित किया गया है कि मंदिर समिति प्रशासन अथवा मंदिर कोष प्रशासन के कार्मिक एवं वित्तीय पक्षों के सम्बन्ध में मुख्य कार्याधिकारी/अंतरिम मुख्य कार्याधिकारी की लिखित सहमति से कार्यों का निस्तारण किया जाय और यदि मंदिर समिति और मुख्य कार्याधिकारी/अंतरिम मुख्य कार्याधिकारी किसी विषय पर एकमत न हों तो ऐसे विषय पर शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय। मान्यवर, इस पर शासन द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं और माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा संदर्भित सभी अनियमितताओं को इसमें संदर्भित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने पर उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांच किसको सौंपी गयी है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, श्री शैलेश बगौली, सी0डी0ओ0 चमोली को इसमें जांच अधिकारी बनाया गया है। श्री शैलेश बगौली अभी अंतरिम मुख्य कार्याधिकारी भी हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यदि शिक्षा विभाग में कोई ऐसा प्रकरण होता है तो उसकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है क्योंकि एक ही विभाग का मामला होता है। लेकिन इस प्रकरण में ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य कार्याधिकारी को जांच नहीं सौंपी जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि किसी और अधिकारी को इसमें जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पूर्व मुख्य कार्याधिकारी के त्यागपत्र देने के कारण श्री शैलेश बगौली को अंतरिम मुख्यकार्याधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर यह जानना चाहता हूँ कि जो आरोप लगाए गए हैं, क्या ये सही हैं ? इसकी जांच होनी चाहिए। यह गंभीर मामला है। बद्रीनाथ और केदारनाथ की चर्चा भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में होती है। ऐसे मामले पर अंतरिम मुख्य कार्याधिकारी को जांच का कार्य सौंपा जा रहा है, यह ठीक नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी अन्य अधिकारी द्वारा इसकी जांच करायी जाय ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, श्री बगौली जी जांच अधिकारी हैं। श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण पद रिक्त न हो इसलिए उनको अन्तरिम मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है। ये मुख्य कार्याधिकारी नहीं रह सकते हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, चूँकि वह अभी मुख्य कार्याधिकारी के पद पर हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूँ कि इसकी जांच के लिए किसी और अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

'काजी' निजामुद्दीन–

मान्यवर, पिछले 10–15 दिनों में उत्तरांचल के सभी क्षेत्रों में बारिश हुई और उसके कारण बहुत नुकसान हुआ। मान्यवर, सावन का महीना तो करीब–करीब सूखा ही गया किन्तु पिछले महीने काफी वर्षा हुई जिस कारण से फसलों का बहुत नुकसान हुआ। जानमाल का तो अधिक नुकसान नहीं हुआ फिर भी थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। लेकिन सैकड़ों की तादाद में मकान गिरे। मकान गिरने की घटनाएं केवल मैदानी क्षेत्र में ही नहीं हुई बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी हुई हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी राहत कार्य नहीं किया गया। किसानों की फसलें चौपट हो गईं। आज भी बहुत से खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। धान की फसल और गन्ने की फसलें चौपट हो गई किसान काफी परेशान हैं। किसान खुदकुशी की कगार पर आ गया है।

जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के किसानों द्वारा आत्महत्या की गई वही स्थिति आज हमारे यहाँ के किसानों की बन गई है। मान्यवर, शीतलपुर ब्लॉक नार्सन में वहाँ एक नाला रोक दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के इरीगेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक नहर का निर्माण कार्य चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम बंद कर दिया गया। पूरा गाँव पानी

में डूब गया। वहाँ के 100–150 मकानों में से 30–35 मकान तो पानी रुकने से उसी दिन गिर गये। सरकार की तरफ से उनके लिए कोई राहत का कार्य नहीं किया गया। वहाँ पर कोई वरिष्ठ अधिकारी भी नहीं पहुँचा। तारीफ करनी होगी थाना झबरेड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस की कि वे पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचे और मजदूरों की तरफ वहाँ पर राहत का कार्य करके बहुत से लोगों की जान बचाई वरना वहाँ के लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो सकता था। ओवर आल वह चाहे मंगलौर का क्षेत्र हो या रुड़की का सभी क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभी इलाकों में अधिकांश मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वे मकानों की मरम्मत अपने स्तर से नहीं करा सकते हैं। मान्यवर, इस अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर इस सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है कि इस वर्ष मानसून अवधि में अत्यधिक अतिवृष्टि एवं अन्य दैवी आपदाओं से जनपद अत्यधिक प्रभावित हुआ है। जनपदों में अब तक दैवी आपदा से 101 मानव हानि हुई है। 234 पशु हानि हुई, तथा 1638 मकान आंशिक एवं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुये हैं तथा कृषि क्षेत्रफल 198.749 हेक्टेयर प्रभावित हुआ है तथा अत्यधिक मात्रा में विभागीय परिसम्पत्तियों की भी क्षति हुई है। आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के निर्देशानुसार व्यय की जाती है। भारत सरकार द्वारा व्यय हेतु मद एवं मानक निर्धारित किये गये हैं। दैवी आपदाओं से प्रभावित परिवारों में राहत सहायता वितरण एवं क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के तात्कालिक मरम्मत कार्य हेतु वर्ष के प्रारम्भ में ही एक मुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रख दी जाती है। जिस धनराशि से जिलाधिकारियों द्वारा दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों में निर्धारित मानकों के अनुसार राहत सहायता वितरण किया जाता है और तात्कालिक मरम्मत कार्य सुनिश्चित किये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त समस्त जिलाधिकारियों को दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के तात्कालिक मरम्मत कार्य हेतु 25.00 लाख रुपये की धनराशि पूर्व में ही स्वीकृत की जा चुकी है। जिसमें से 2.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी और 5.00 लाख तक की धनराशि आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जायेगी। अतिवृष्टि से प्रभावित सम्पत्तियों की त्वरित मरम्मत भी इसमें सम्मिलित की जा सकती है।

मानसून अवधि में प्रदेश में भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ आदि दैवी आपदाओं से जनपदों में हुई क्षति को आपदा राहत कोष के अन्तर्गत अनुमन्य अवस्थापना सुविधाओं, जिसमें विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण होना है, त्वरित गति से कराने के आशय से कुछ सीमा तक विकेन्द्रीकृत करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्यों

हेतु प्रति विधान सभा क्षेत्र 25.00 लाख की दर से 13 जनपदों हेतु कुल रु0 17.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उपरोक्त स्वीकृति माननीय विधायकगणों की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

मान्यवर, वर्ष 2005–2006 में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मद में रु0 2.21 करोड़, पेयजल आपूर्ति हेतु रु0 0.27 करोड़ विभागीय परिसम्पत्तियों हेतु रु0 17.39 करोड़ की धनराशि आपदा राहत कोष से स्वीकृत की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों को दैवी आपदा से प्रभावितों में भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार राहत सहायता वितरण एवं दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के तत्काल मरम्मत कार्यों हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया सौ–सवा सौ मकान ध्वस्त हुए हैं। क्या यह पूरे राज्य का आंकड़ा है ? पता नहीं किस आधार पर यह आंकड़ा तैयार किया गया। मान्यवर, सौ से ज्यादा मकान मंगलौर कस्बे में क्षतिग्रस्त हैं, और इससे जो देहात जुड़ा हुआ है, उसके बाहरी क्षेत्रों में भी बुरा हाल है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, 1639 मकान आंशिक एवं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसका उल्लेख मैंने अपने उत्तर में किया है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं, वह दूसरों के घरों में लेट रहे हैं। मान्यवर, जनपद हरिद्वार में पूरी प्रशासनिक मशीनरी चुनाव में लगी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस बात को देखते हुए वहां पर सरकार क्या कोई व्यवस्था करेगी।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, चुनाव 08 तारीख को समाप्त हो जायेंगे। आप हमें इसकी लिखित सूचना दें। हम वहां के जिलाधिकारी और कमिश्नर को लिखित आदेश कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी निजामुद्दीन और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, अभी हाल ही में उत्तराखण्ड आंदोलन से जुड़े

हुए जो आरोपी थे– श्री अनन्त कुमार सिंह, तत्कालीन जिलाधिकारी और श्री आर०के० सिंह तत्कालीन एस०पी०, इन दोनों अधिकारियों को सी०बी०आई० की अदालत ने छोड़ दिया मान्यवर, यह एक बहुत ही भावात्मक मामला उत्तरांचल के लिए रहा है। मान्यवर, बहुत ही दर्दनाक मौतें 02 अक्टूबर, 1994 को जब पृथक पर्वतीय राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो रामपुर तिराहे पर घटित हुई और उसमें कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ और कई लोगों की नग्नावस्था में लाशें मिलीं, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मान्यवर, इतना ही नहीं जब लोगों ने निहत्थे लोगों को मारने के लिए इनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करानी चाही तो वे प्रथम सूचना दर्ज नहीं कर पाये। मान्यवर, उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और वह भी कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी। मान्यवर, जब प्रथम सूचना दर्ज नहीं हुई थी तो "उत्तराखण्ड संयुक्त संघर्ष समिति" ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक जनहित याचिका दर्ज की। मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 9 फरवरी, 1996 को अपने निर्णय में कहा कि उत्तरांचल के लोगों पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, अर्थात् इसमें केन्द्र सरकार या सम्बन्धित राज्य सरकार से कोई भी सी०आर०पी०सी० की धारा 197 के अन्तर्गत परमीशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने सीधे–सीधे कहा कि यह सही है कि कुछ लोगों पर मुकदमे नहीं चलाये जा सकते हैं बिना सम्बन्धित सरकार की परमीशन से, लेकिन यह मामला ऐसा है, वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के एस०पी० जिन्होंने अपने कर्तव्यों के अनुपालन में यह कार्य नहीं किया है।

मान्यवर, अगर कोई भी जिलाधिकारी एक निश्चित मात्रा में बल प्रयोग करके कहीं पर 5 लोग या उससे अधिक लोगों के जमावड़े को तितर–बितर करने के लिए बल प्रयोग करता है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता में साफ लिखा है कि वह उतना ही बल प्रयोग करेगा जितना कि उचित हो, लेकिन जानबूझकर उत्तरांचलवासियों को मौत के घाट उतारना, दंगा करवाना, माताओं–बहनों के साथ बलात्कार करना अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना, उचित नहीं है, इसलिए सी०बी०आई० से कहा गया कि मुकदमा दर्ज करें और जाँच करें, तब यह मुकदमा देहरादून की सी०बी०आई० अदालत में चला था। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो श्री अनन्त कुमार और श्री आर०के० सिंह छूटे हुए हैं यह पहले ही छूट गये थे। मान्यवर, इनको 12 जुलाई को उत्तरांचल के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया, इसमें न्यायालय की कोई गलती नहीं है, इसमें पूर्ण रूप से उत्तरांचल सरकार की गलती है। उस समय भी अनन्त कुमार के मामले में किसी ने पैरवी नहीं की। जब कोई केस दायर होता है तो वह चीफ स्टैंडिंग काउन्सिल के पास जाता है फिर एडवोकेट जनरल को सूचना जाती है। मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में केस चल रहा था, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला और आरोपी छूट गये क्योंकि सरकार की मंशा इन अपराधियों को छोड़ने की पहले से ही रही है।

मान्यवर, जिस समय 2 अक्टूबर, 1994 को यह अपराध हुआ उस समय भी यह सरकार श्री मुलायम सिंह यादव के साथ चल रही थी और कांग्रेस दल की सरकार ही केन्द्र में भी थी, तो आज जो छूटे हैं इसमें भी बहुत बड़ा षड़यंत्र है, इसमें सरकार की बहुत बड़ी कमी रही है। जब उत्तरांचल के माननीय हाई कोर्ट में मामला चल रहा था तो यहाँ की सरकार ने पैरवी करना उचित नहीं समझा और तो और काउन्टर दाखिल भी नहीं किया जबकि सरकारी वकीलों की फौज नैनीताल हाई कोर्ट में है। मान्यवर, इसी तरीके से पटवारी में कन्सेंट आर्डर पास हुआ है, तो मान्यवर, वही बात है कि हाथी के दाँत खाने के अलग और दिखाने के अलग हैं। आज भी ठीक तरीके से पैरवी की होती और ठीक तरीके से समझाया होता कि माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार ही इन दोनों पर मुकदमा चला है, तो ये दो अपराधी कभी नहीं छूटते।

मान्यवर, यह उत्तरांचल के जनमानस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सारे उत्तरांचलवासियों के जख्मों को इस मामले ने हरा कर दिया है। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर मैं निवेदन करता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए। मान्यवर, इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और इसे प्रदेश की जनता के सामने रखा जाना चाहिए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी जो यह विषय है यह बहुत ही गम्भीर विषय है इसलिए इसे हमने नियम 311 के अन्तर्गत रखा था इसी नियम 311 के तहत ही सुना जाना चाहिए था। इस पर आपकी कृपा हुई और आपने नियम 56 में रखा। मान्यवर, इस विषय पर मैं कहना चाहता हूँ कि इस घटनाक्रम के बारे में माननीय अजय भट्ट जी ने विस्तार से बता दिया है। मान्यवर, उत्तराखण्ड में रहने वाले हम लोग, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, उस पूरे घटनाक्रम से वाकिफ हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर व्यापक और विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, यह हमारा माननीय उच्च न्यायालय या निचली अदालत के फैसले पर चर्चा का उद्देश्य नहीं है। माननीय अजय भट्ट जी ने सी०आर०पी० की धारा 197 का हवाला दिया। मान्यवर, उच्च न्यायालय नैनीताल से भी इन अपराधियों ने चुप–चाप अपने मुकदमे को डिस्चार्ज कराने की कोशिश पहले भी की इसमें वह कामयाब भी हो गये। इसलिए कामयाब हो गये कि सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाला कोई नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मुकदमे को डिस्चार्ज कर दिया।

मान्यवर, उत्तराखण्ड की जनता इस फैसले पर सड़कों पर उतर आई और यह पहला ऐतिहासिक है और उच्च न्यायालय ने अपना फैसला रिकॉल किया और उस पर मुकदमा चलाने की बात कही। मान्यवर, फिर वही दृश्य दोहराया जा रहा है। जैसा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला है इस जघन्य काण्ड के खिलाफ जब प्राथमिकता दर्ज होने की स्थिति नहीं थी तब हम सभी लोगों ने जनहित याचिका दायर की और उच्च

न्यायालय ने हमें न्याय दिया और इसकी सी0बी0आई0 से जाँच कराने को कहा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा कि इस मामले में अधिकारियों के खिलाफ सम्बन्धित राज्य सरकार की इजाजत की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारी सरकार ने कोई पैरवी करने की कोशिश नहीं की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम विशेष सैल गठित करेंगे और आज भी यह कह रहे हैं कि हम दोषी को नहीं छोड़ेंगे, जब पैरवी की बात आती है तो सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं देती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है कि इसमें सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि राज्य बनने से पहले 5 या 4 नवम्बर को तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो वहां की सरकार थी उसके मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि कल राज्य बनने के बाद हो सकता है कि वहां इन पर मुकदमा चलाया जाये। तो उस वक्त की सरकार ने राज्य बनने से ठीक 5 दिन पहले उन पर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी। सी0बी0आई0 को इस सम्बन्ध में लिखित दे दिया गया था। मान्यवर, वह क्यों अनुमति देंगे। यह जिम्मेदारी तो हमारी सरकार की है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करे, जनता तो बात नहीं कर सकती है। हमारे मुखिया को उत्तर प्रदेश के मुखिया से बात करनी चाहिए थी। यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। आंदोलनकारियों के साथ जो भी हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। जहां एक ओर सरकार को कोर्ट में पैरवी करनी चाहिए वहीं हमारी सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से बात करनी चाहिए और अनुमति दिलाने का प्रयास करना चाहिए।

मान्यवर, यही नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि जो दोषी अधिकारी हैं एक गीता प्रसाद नैनवाल भी उसमें मुजरिम है। उनको हमारे प्रदेश में प्रोन्नति दी गयी है, उन्हें सेवा विस्तार भी दिया गया है। सरकार को पता ही नहीं है कि कौन अपराधी है ? मान्यवर, सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह इतना गम्भीर मसला है पूरे जनमानस से, उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसको सरकार हल्के से ले रही है। सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक कार्य करना चाहिए। सारे तथ्य सदन के सामने आने चाहिए। इस पर विस्तार से चर्चा हो। समस्त कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाये और सरकार को जवाब देने के लिए विवश किया जाये। फिर आन्दोलनकारियों के साथ कोई धोखा तो नहीं होने जा रहा है। मान्यवर, इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कार्यवाही में बात आई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसकी परमीशन नहीं दी तो इसलिए नहीं दी कि हाईकोर्ट ने पहले ही परमीशन दे दी है तो इसलिए सरकार को परमीशन देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब हाईकोर्ट में वह मामला था तो मैंने एक रिव्यू पिटीशन दायर की थी तब यह मामला वहां से वापस हुआ था।.......... (व्यवधान)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, यह रैली जो उत्तरांचल राज्य निर्माण के सम्बन्ध में शान्तिपूर्ण रैली थी। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी उस रैली में शामिल थीं। वे चाहती थीं कि राज्य निर्माण हो और बहुत ही शान्तिपूर्वक तरीके से यह रैली जा रही थी, लेकिन उस समय की केन्द्र की कांग्रेस सरकार और उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने जानबूझकर [साजिश] करके निहत्थे आंदोलनकारियों जो कि अपने राज्य निर्माण की मांग की रैली के लिए दिल्ली जा रहे थे ......।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, [* * *] शब्द आपत्तिजनक है, इसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इनका कहना सही है [* * *] शब्द वास्तव में आपत्तिजनक है।

श्री अध्यक्ष–

इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं ......।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप समाप्त करें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों के साथ ज्यादतियां हुईं और दुर्व्यवहार भी हुआ। जिसमें हमारे प्रदेश की मातायें और बहनें और कई वरिष्ठ साथी भी शामिल थे। आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग किया गया दुर्व्यवहार भी किया गया। इन प्रकरणों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सी0बी0आई0 द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया। उस समय शासन उत्तर प्रदेश सरकार का था और जो भी दोषी और आरोपी अधिकारी थे वह उत्तर प्रदेश सरकार के ही थे और यदि कोई यहां पर आये हों तो तब वे उत्तर प्रदेश सरकार के ही कर्मचारी थे। इससे सम्बन्धित सभी मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं और अनन्त कुमार सिंह जो तत्कालीन जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर थे, को दिनांक 28–09–2005 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा फोन, फैक्स के माध्यम से केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से अनुरोध किया गया है कि वह इस प्रकरण पर तत्काल रिवीजन दायर करें। उत्तरांचल राज्य से जो भी सहयोग अपेक्षित होगा राज्य सरकार द्वारा उसमें हर

[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रकार से सहयोग प्रदान किया जायेगा। हमारे बीच में कई लॉयर साथी भी हैं और इस बात को सभी लोग जानते हैं कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विवेचित एवं आरोप पत्र दायर किये गये वादों में पैरवी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो या केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। क्योंकि राज्य सरकार इस प्रकरण में पक्षकार नहीं हैं इसलिए किसी भी प्रकार की अपील या रिवीजन करना केन्द्र सरकार या सी0बी0आई0 के क्षेत्राधिकार में ही है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य सरकार इसमें संवेदनशील नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सी0बी0आई0 के निदेशक तथा भारत सरकार के कैबिनेट सचिव से वार्ता की कि केन्द्र सरकार एवं सी0बी0आई0 इस प्रकरण में तत्काल रिवीजन दायर करे और प्रदेश सरकार से जो भी वांछित सहयोग है उसे देने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। सरकार क्योंकि इस पक्ष में पक्षकार नहीं है इसलिए राज्य सरकार रिवीजन दायर नहीं कर सकती लेकिन इसके लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से मांगा जायेगा वह उन्हें प्रदान किया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि इस उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को भुलाया भी नहीं जा सकता है और दोषियों को माफ भी नहीं किया जा सकता है।

जब यह खबर आई कि आरोपी छूट रहे हैं तो हमें काफी दुःख हुआ और उत्तरांचल आंदोलन से जुड़े लोगों और उत्तरांचल में रह रहे लोगों को भी अवश्य ही इससे दुःख पहुंचा है। लेकिन राज्य सरकार इसमें पक्षकार के रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकती है, दोषियों को दंडित किया जाय, यह हमारी जिम्मेदारी है। जो दोषी हैं, दोषी तो वहीं हैं जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे। मान्यवर, उनके जरिये इतनी दर्दनाक घटना हुई, इसके लिए हम संवेदनशील हैं। सी0बी0आई0 के डायरेक्टर तथा कैबिनेट के सचिव से माननीय मुख्यमंत्री जी की वार्ता हुई है। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो हम जायेंगे और इसकी मजबूत पैरवी करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पब्लिक वर्क इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन में कोई भी व्यक्ति पार्टी बन सकता है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल की जनता की भावनाओं का एक प्रतीक शहीद स्मारक वहां पर बनाया गया था, उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया है। इसके विरोध में लोग वहां पर आत्मदाह करने को तैयार हैं। उस शहीद स्मारक को तोड़कर इस सरकार ने अच्छा कार्य नहीं किया है। सरकार की तरफ से इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, शासन द्वारा एक कमेटी बनायी गयी थी, इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग थे, उसके द्वारा जो स्थान चयनित किया गया था, वहां पर शहीद स्मारक बनाया गया था। वह शहीद स्मारक अपनी जगह पर है। किसी शहीद स्मारक के तोड़े जाने में सरकार की कोई भागीदारी नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी माननीय मंत्री जी द्वारा दी गयी। मान्यवर, मैंने कुछ बिन्दु उठाए थे। श्री जी0पी0 नैनवाल के बारे में सरकार का क्या कहना है ? अभी 18 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर की उसी अदालत में एक केस पर फैसला होना है और आरोप निर्धारित होने हैं। क्या सरकार उस पर नजर रखेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमें श्री जी0पी0 नैनवाल के बारे में जानकारी नहीं थी, जैसे ही आपके द्वारा यह जानकारी दी गयी हमने तत्काल विभाग को यह आदेश जारी कर दिए कि इसकी जांच की जाए और यदि वास्तव में वह अधिकारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। सरकार का यह प्रयास है कि यदि कोई अधिकारी इसमें दोषी हो तो वह बरी न हो जाए।

श्री अध्यक्ष–

श्री काशी सिंह ऐरी, श्री अजय भट्ट, श्रीमती विजय बड़थ्वाल और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

वित्तीय वर्ष (2005–06) का प्रथम अनुपूरक अनुदान

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष (2005–2006) का प्रथम अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करती हूँ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री नारायण सिंह जंतवाल तथा श्री महेन्द्र भट्ट की कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत तदर्थ पदोन्नत अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री नारायण सिंह जन्तवाल की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद 4 बजकर 02 मिनट पर सदन की कार्यवाही 06 अक्टूबर, 2005 को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
05 अक्टूबर, 2005

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तरांचल।

संलग्नक–1

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

वर्ष 2004–05 में जनपदवार/फर्मवार क्रय किये गये रसायनों का विवरण

(रुपये में)

क्र० सं०	फर्म का नाम	नैनीताल	ऊधमसिंह नगर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	पिथौरागढ़	देहरादून	पौड़ी
		क्रय	क्रय	क्रय	क्रय	क्रय	क्रय	क्रय	क्रय
1	2	3	5	7	9	11	13	15	17
1.	मै० टीस्टेन्स एण्ड कम्पनी लि०	8072	16275	0	0	0	4882	0	16242
2.	मै० बायोविजन इण्टर प्राइजेज लखनऊ	19293	0	47534	0	0	0	48622	24262
3.	मै० गुजरात इनसेक्टीसाइड्स लि० गुजरात	0	13886	0	0	0	13886	55519	27746
4.	मै० स्वरूप कैमिकल्स प्रा०लि० लखनऊ	7299	0	13766	0	0	7329	14658	0
5.	मै० बायर इण्डिया लि० मुम्बई	0	0	0	0	0	0	0	13468
6.	मै० हैदराबाद कैमिकल्स हैदराबाद	75448	65624	35850	0	0	14595	0	0
7.	मै० भारत इनसेक्टीसाइड्स नई दिल्ली	31059	16194	0	0	0	31294	0	46900
8.	मै० इण्डिया पेस्टीसाइड्स लि० लखनऊ	0	77244	48171	0	0	332170	0	0
9.	मै० हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लि०	16506	0	22940	0	0	0	0	0
10.	मै० धरदा कैमिकल्स मुम्बई	0	0	0	0	0	3450	0	103468
11.	मै० बायोटेक इण्टरनैशनल लि० नई दिल्ली	50599	164052	247936	0	0	9198	2772	713850
12.	मै० कृषि रक्षा रसायन एक्पोर्ट नई दिल्ली	33075	0	0	0	0	5512	0	0
13.	मै० एच०पी०एम० इन्डस्ट्रीज	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मै० किसान ट्रेडिंग कार्पो० लि० रुद्रपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	रूमटा इन्डस्ट्रीज लि० रुद्रपुर								
	कुल योग	241351	353275	415397	0	0	422316	121571	245736

संलग्नक–1

(रुपये में)

क्र0 सं0	फर्म का नाम	टिहरी	चमोली	रुद्रप्रयाग	उत्तरकाशी	हरिद्वार	कुल योग	अभ्युक्ति
		क्रय	क्रय	क्रय	क्रय	क्रय	क्रय	
1	2	19	21	23	25	27	29	31
1.	मै0 टीस्टेन्स एण्ड कम्पनी लि0	0	0	3255	0	32550	81276	नोट :–जनपद बागेश्वर एवं चम्पावत में वर्ष 2004–05 में कृषि रक्षा अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण कृषि रक्षा रसायनों का क्रय उनके वैत्रिक जनपद अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ से किया गया है।
2.	मै0 बायोविजन इन्टर प्राइजेज लखनऊ	19488	38176	9744	29232	24360	260711	
3.	मै0 गुजरात इनसेक्टीसाइडस लि0 गुजरात	13886	0	0	27774	47261	199958	
4.	मै0 स्वरूप कैमिकल्स प्रा0लि0 लखनऊ	0	10931	0	7329	0	61312	
5.	मै0 बायर इण्डिया लि0 मुम्बई	0	0	0	0	0	13488	
6.	मै0 हैदराबाद कैमिकल्स हैदराबाद	0	0	0	0	178185	368902	
7.	मै0 भारत इनसेक्टीसाइड्स नई दिल्ली	25231	96525	0	39118	33875	280196	
8.	मै0 इण्डिया पेस्टीसाइड्स लि0 लखनऊ	76818	77244	0	24795	0	636442	
9.	मै0 हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लि0	13025	0	0	39290	0	91721	
10.	मै0 धरदा कैमिकल्स मुम्बई	51646	43127	0	0	69002	270893	
11.	मै0 बायोटेक इण्टरनैशनल लि0 नई दिल्ली	0	18375	13125	11550	0	531257	
12.	मै0 कृषि रक्षा रसायन एक्पोर्ट नई दिल्ली	0	5515	0	0	0	44102	
13.	मै0 एच0पी0एम0 इन्डस्ट्रीज	0	0	0	0	40834	40834	
14.	मै0 किसान ट्रेडिंग कार्पो0 लि0 रुद्रपुर	0	0	0	3700	0	3700	
15.	रूपटा इन्डस्ट्रीज लि0 रुद्रपुर				8137		8137	
	कुल योग	200094	249893	26124	190886	426067	2892709	

संलग्नक–2

क्र0सं0	जिले का नाम	क्रय किये गये पालीहाउस
1.	पौड़ी	6
2.	टिहरी	6
3.	रुद्रप्रयाग	4
4.	चमोली	7
5.	उत्तरकाशी	5
6.	पिथौरागढ़	7
7.	चम्पावत	5
8.	नैनीताल	9
9.	बागेश्वर	6
10.	अल्मोड़ा	7
	योग	62

संलग्नक–1

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

जनपद उत्तरकाशी के चयनित जैविक ग्रामों की विकासखण्डवार सूची

विकास खण्ड का नाम	जैविक ग्राम का नाम
1	2
1. भटवाडी	1. नैताला
	2. उत्तरौ
	3. धनपुर
	4. डिडसारी
	5. गणेशपुर
	6. चिवा रवाडा
	7. टिलसौड
2. डुन्डा	8. हिटाणु
	9. बडेथी
	10. मांगली सेरा
	11. मजकोट
	12. खदाल्का
	13. सगूंणी
	14. डुन्डा
3. चिन्यालीसौंड	15. बधाण गांव
	16. नागणी
	17. छिटारा
	18. नैलाडी
	19. हडियाडी
	20. चिन्यालीसौंड
	21. तुल्याडा
4. नौगांव	22. माराडी
	23. तुनाल्का
	24. सुनारा
	25. मंजियाली
	26. कृष्णा
	27. बगासू
	28. मुनारा

1	2
5. पुरोला	29. कुफारा
	30. महरगांव
	31. चन्देली
	32. ठडुंग
	33. दलमाडा पल्ला
	34. गुंदियाटगांव
	35. देवढुंग
6. मोरी	36. बिजोती
	37. डोभालगांव
	38. खरसाडी
	39. रमालगांव
	40. मौताड़
	41. भदासू
	42. सौड़

संलग्नक–2

जनपद उत्तरकाशी में स्थापित वर्मीकल्चर सेन्टर की विकास खण्डवार सूची

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम का नाम
1.	भटवाड़ी	श्रीमती कमला देवी	श्री सुन्दर सिंह	नैताला
2.	डुन्डा	श्री बुद्धिबल्लभ जोशी	श्री मित्रानन्द जोशी	डुण्डा
3.	चिन्यालीसौंड	श्री बृजमोहन जोशी	श्री नन्दराम जोशी	नागणी
4.	नौगांव	श्री मनमोहन चौहान	श्री भोपाल सिंह	मजियाली
5.	पुरोला	श्री बृजमोहन सिंह	श्री लाबबर सिंह	पुरोला
6.	मोरी	श्री बलबीर सिंह	श्री जयराम	मद्रासू

671

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 विधान सभा / 308–23–6–2007–200 प्रतियां (कम्प्यू0 / रीजियो)।